

अध्याय -3

जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा

अध्याय-3

3.1 पलामू का जिला केंद्रित लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

पलामू का जिला केंद्रित लेखा परीक्षा जिला में वित्तीय मामलों में एवं महत्वपूर्ण समाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति को मुख्य रूप से उजागर करती है। प्रतिवेदन में संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन.आर.एच.एम.), समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, राज्य सड़क और पुलिस आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को सन्निहित कर तैयार की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिन्दु नीचे उद्धित हैं:

- किसी खास समय में सम्पूर्ण प्रक्षेत्रवार जिला में निधि का प्रवाह को दर्शाने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। पलामू में जिला योजना समिति का गठन संविधान के 74^{वें} संशोधन के 18 वर्ष बाद दिसम्बर 2011 में किया गया। जिला योजना समिति की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई और इसकी कार्यप्रणाली दिखावटी एवं अपूर्ण रही। जिले का पंचवर्षीय विस्तृत योजना एवं वार्षिक कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। अधिनियम के अंतर्गत निधि, कार्य एवं कार्यान्वयन का हस्तांतरण पंचायती राज संस्था (पी.आर.आई.) को भी नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)

सरकार को योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पी.आर.आई. की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

- एस.एस.ए. के अस्तित्व के बावजूद काफी संख्या में बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे, निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध छात्र-शिक्षक का अनुपात (पी.टी.आर.) नीचे था और पी.टी.आर. जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में काफी खराब था। काफी संख्या में भवनों एवं कक्षा का निर्माण या तो अपूर्ण था या बीच में ही जमीन के अभाव में रोक दिया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति भी कम थी। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।

सरकार को विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

- एम.डी.एम. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में 1974.79 एम.टी. चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था, विद्यालयों के भंडार पंजी में नहीं लिया गया जब की उसे एस.एफ.सी. गोदामों से निर्गत दिखाया गया था। एम.डी.एम. के अंतर्गत चावल की दूसरी योजनाओं में विचलन एवं कुकिंग फंड का दुरुपयोग भी पाया गया। कुछ विद्यालयों में एम.डी.एम. कुछ दिनों के लिए अनाज आपूर्ति कम होने के कारण अवरूद्ध पाया गया।
- एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के क्रम में जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या मानक की तुलना में कम पाया गया। मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें यथा रक्त भण्डारण, शिशु सेवा, अल्ट्रासाउण्ड, ई.सी.जी. सेवायें, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवायें इत्यादि भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। सदर अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन, धुलाई मशीन एवं इन्सीनेरेटर अक्रियाशील थे। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के बावजूद सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जरूरी तीन जाँच नहीं किया गया एवं 2009-12 के दौरान संस्थागत प्रसव सिर्फ 40 प्रतिशत पंजीकृत महिलाओं का ही हो पाया।

सरकार को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर/स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

- वर्ष 2009-12 के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) में पाया गया की 2,583 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध 2,484 केन्द्रों में शौचालय एवं 2,026 केन्द्रों में चापाकल नहीं थे। एस.एन.पी. में 36 से 38 प्रतिशत की कमी पाई गई।
- ₹ 44.96 करोड़ मूल्य का बी.पी.एल., अन्तोदय, अन्नपूर्णा एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजना का अनाज सरकारी राशन दुकानों में प्राप्ति नहीं दर्शाया गया जब की एस.एफ.सी. द्वारा इसे निर्गत दिखाया गया था। इस अंतर का मिलान नहीं किया गया।
- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में 75 हजार आबादी के लिए दो पाईप जलापूर्ति योजना बीच में ही रोक दी गई जिसके फलस्वरूप पाईप के खरीद में खर्च किये गए ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

- पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष 2007-12 के बीच ₹ 27.86 करोड़ के लागत से पूर्ण किये गए 31 सड़कों का रखरखाव नहीं किया गया एवं 181 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने वाले 86 सड़कें ₹ 42.60 करोड़ के खर्च के बावजूद भी अपूर्ण रहे।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सरकार को सभी मौसम के लायक सड़क द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए।

- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत 1,457 लक्षित गाँवों के विरुद्ध सिर्फ 668 गाँवों का विद्युतिकरण किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निश्चित दर से बिलिंग करने के फलस्वरूप मीटर लगाने में ₹ 3.86 करोड़ का खर्च निष्फल हुआ।
- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 861 स्वरोजगारियों को भवन के अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जिसके फलस्वरूप वे बैंक वित्तीय पोषण से वंचित रहे।
- पलामू में पुलिस बल के लिए आधारभूत सुविधाएं यथा थाना, आउटपोस्ट भवन पुलिसकर्मी के लिए आवास, बैरक, वाहन आदि की कमी थी। पुराने हथियारों का जिला में निस्तारण नहीं किया गया।
- जिला योजना समिति को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा अपनी बैठक में करनी थी। समिति ने अपने एकमात्र बैठक में समीक्षा नहीं की। इसके अलावे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अन्तर्गत समितियों का संगठन उनके अंतर्गत आने वाले कार्यों के देखरेख के लिए करना था परंतु इन समितियों के गठन न होने के कारण विकास योजनाओं का अनुश्रवण नहीं हो सका।

सरकार को अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

3.1.1 प्रस्तावना

पलामू की संपूर्ण जनसंख्या 19.36 लाख है जो प्रथमतः कृषि, जंगल और पशुओं के पालन पर जिविका चलाते हैं। यह जिला उत्तर में औरंगाबाद (बिहार), पूर्व में चतरा जिला, दक्षिण में लातेहार जिला एवं पश्चिम में गढ़वा जिला से घिरा हुआ है।



5,043.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पलामू जिला तीन अनुमण्डलों¹ एवं 20 प्रखण्डों में विभक्त है। इस जिले के अंतर्गत 283 ग्राम पंचायत, 20 पंचायत समितियों, एक नगर परिषद और एक जिला परिषद शामिल है।

जिले में सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित हैं:

प्रशासनिक विभाग	पलामू प्रमण्डल
जिला मुख्यालय	डाल्टनगंज (मेदिनीनगर)
थाना	21
जनसंख्या घनत्व	381 प्रति वर्ग कि.मी.
अनुसूचित जाति	4.24 लाख (27.55 प्रतिशत)
अनुसूचित जनजाति	1.39 लाख(9.03 प्रतिशत)
लिंग अनुपात	947 महिला प्रति हजार पुरुष
साक्षरता दर	65.50 प्रतिशत
गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का प्रतिशत	सम्पूर्ण परिवारों का 79 प्रतिशत
कुल परिवारों की संख्या	2,52,319
ग्रामीण परिवार	2,37,337
शहरी परिवार	14,982
कुल गाँवों की संख्या	1,918
विद्युतीकृत गाँव	34.50 प्रतिशत
जलापूर्ति योजना से सम्बद्ध जनसंख्या	99.83 प्रतिशत
उचित मूल्य की दुकान	1,434
विद्यालयों की संख्या	2,818
स्वास्थ्य केंद्र	220 निजी स्वास्थ्य सुविधाओं सहित
शिशु मृत्यु दर(प्रति 1000)	38
मातृ मृत्यु दर(प्रति एक लाख)	208

¹ छत्तरपुर, हुसैनाबाद एवं मेदिनीनगर।

कुल प्रजनन दर	3.2 प्रतिशत
बैंक शाखाओं की संख्या	60 वाणिज्यिक एवं 33 सहकारी वाणिज्यिक बैंक
सड़क संबद्धता	23.57 प्रतिशत गाँव

स्त्रोत: जिला योजना पदाधिकारी द्वारा तैयार की गयी जिला प्रोफाइल तथा 2001 की जनगणना

पलामू के जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा में सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों में वित्तीय प्रबंध, निधियों की उपयोगिता एवं योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए रचनात्मक निक्षेपण पर केन्द्रीभूत लक्ष्यों से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, पेय जल एवं स्वच्छता, सड़क, आपदा प्रबंधन, विद्युत एवं कानून व्यवस्था को लक्ष्य में रखा गया।

3.1.2 प्रशासनिक संरचना

उपायुक्त जिला का प्रशासनिक एवं सभी कार्यक्रमों की स्वीकृति अधिकारी हैं। उपायुक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) के अध्यक्ष भी हैं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.), प्रखंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) एवं जिले में अवस्थित सभी सरकारी लाइन विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने की सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं।

जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त, उपायुक्त की सहायता करते हैं। वे जिला में कार्यान्वित होने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों की योजना एवं निरीक्षण के साथ सम्पूर्ण प्रगति एवं समयानुसार कार्यों के निश्चित सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। पुलिस अधीक्षक एवं उनके चार उपाधीक्षक भी उपायुक्त की सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की धारा 243 जेड.डी. में निर्दिष्ट प्रावधान है कि जिले में योजना समिति प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में रहेगी।

जिले में जिला योजना समिति का गठन दिसम्बर 2011 में हुआ। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में चिन्हित 29 मामलों से संबंधित 75 कार्य ग्राम पंचायतों (जी.पी.), 114 कार्य² पंचायत समितियों (पी.एस.) एवं 124 कार्य जिला परिषद (जेड.पी.) को करना था। परंतु उपरोक्त चिन्हित कार्यों का हस्तान्तरण दिसम्बर 2012 तक नहीं किया गया।

² चिन्हित मामलों के अंतर्गत विस्तृत रूप से किये जाने वाले कार्य यथा भूमि विकास, कृषि एवं बागवानी, दुग्ध उत्पादन फार्म का विकास, पेय जलापूर्ति इत्यादि।

लेखापरीक्षा कार्य संरचना

3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा विषय में जाँच करना था कि क्या:

- जिले में योजनाओं का स्थानीय प्रबंधकीय अधिकार प्रभावोत्पादक था,
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था,
- योजना लक्ष्य प्राप्त हुआ था और
- एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र स्थापित था।

3.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड में लेखापरीक्षा संरचना हेतु व्याख्याओं को सूचित किया गया था:

- झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001,
- वार्षिक कार्य योजना और परियोजना के कार्यान्वयन की योजना,
- संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की मार्गदर्शिका,
- झारखंड वित्तीय नियम, झारखण्ड लोक कार्य लेखे/विभागीय संहिता एवं आरक्षी नियम पुस्तिका इत्यादि तथा
- चयनित कार्यक्रमों एवम् योजनाओं का अनुमोदित अनुश्रवण तंत्र।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं विधि

पलामू जिले का जिला केंद्रित लेखापरीक्षा जिला में वर्ष 2009-12 के दौरान महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों³ के कार्यान्वयन संबंधित मूल्यांकनों को लेखापरीक्षा में सन्निहित किया गया।

उपायुक्त पलामू के साथ मार्च 2012 में लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंड एवं इच्छित परिणामों के संबंध में विचार विमर्श के लिए एक आगमन बैठक किया गया। लेखापरीक्षा अप्रैल-जून 2012 के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (*परिशिष्ट 3.1*) का जिला स्तरीय कार्यालयों में लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को एक अलग निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपायुक्त के

³ सामाजिक क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता। आर्थिक क्षेत्र: आधारभूत संरचना, सड़क ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगार सृजन इत्यादि तथा सामान्य क्षेत्र: कानून व्यवस्था।

साथ 13 दिसम्बर 2012 को लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में एक समापन बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं लेखापरीक्षा में अनवशित प्रत्युक्तों को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

3.1.6 योजनाकरण

3.1.6.1 जिला योजना समिति

जिला में पंचवर्षीय योजना के साथ वार्षिक योजनाएं भी तैयार नहीं थी

झारखण्ड पंचायति राज्य अधिनियम (झा.पं.रा.आ.) के खण्ड 127 के अनुसार जिला योजना समिति सम्पूर्ण जिले के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा, सभी प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का एक डाटा बेस के आधार पर प्रत्येक गाँव, प्रखण्ड एवं जिला में उपलब्ध सुविधाओं की एक सूची बनाएगा तथा लिए गए सभी कार्यों की एक सूची तैयार करेगा, उसे संशोधित करेगा एवं पंचायती राज्य संस्थाओं एवं यू.एल.बी. द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करेगा, जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आहूत करेगा एवं कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सरकार को सूचित करेगा। झा.पं.रा.आ. 2001 के खंड 130 के अनुसार जिला योजना समिति प्रत्येक दो माह के अंतराल पर कम से कम एक बार बैठक करेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2009-12 के दौरान जिला के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ एक वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी। यद्यपि, अधिनियम के नियमों के अंतर्गत जि.यो.स. कार्यान्वित चालू योजनाओं की प्रगति का आवश्यकता अनुसार अनुश्रवण नहीं किया गया था। हालांकि, झा.पं.रा.आ. कि कार्यान्वयन के पूर्व एवं जि.यो.स. के गठन के उपरांत भी योजनाओं का मूल्यांकन/परीक्षण उपायुक्त द्वारा लगातार प्रत्येक माह की गयी थी।

पुनश्च: लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंचायती राज संस्थान के चुनाव के एक वर्ष बाद जिला योजना समिति का गठन 22 दिसम्बर 2011 को हुआ और इसकी बैठक जून 2012 तक सिर्फ एक बार (27 दिसम्बर 2011) को हो सकी। जिला योजना समिति ने अपनी पहली बैठक में मनरेगा का वर्ष 2012-13 के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान का वर्ष 2011-12 के वार्षिक कार्य योजना का भुतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किया।

अतः जिला योजना समिति के गठन में विलम्ब के फलस्वरूप जिला में सम्पूर्ण एवं तृणमूल स्तरीय योजनाकरण का लक्ष्य अप्राप्त रहा।

3.1.6.2 कार्य, कार्यक्रम एवं निधियों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण

झा.पं.रा.आ. 2001 के खण्ड 69 के अनुसार विगत बैठकों में कार्यान्वयन प्रगति पर लिये गए निर्णयों एवं पिछले माह में किये गए विकास कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रत्येक माह बैठक करनी थी। इसके अलावा झा.पं.रा.आ. के खण्ड 71 एवं 72 में यह भी अवसर प्रदान किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यों⁴ की देखभाल के लिए ग्राम पंचायतों में सात⁵ एवं प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद में आठ⁶ स्थायी समिति का गठन कर सकता है। इसके साथ ही झा.पं.रा.आ. के 77 बी के अनुसार वर्तमान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जिला परिषद में मिला दिया गया था।

शक्तियों का हस्तांतरण पंचायती राज संस्थानों को नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर की स्थायी समितियों का गठन जून 2012 तक नहीं किया जा सका। जैसा की झा.पं.रा.आ. में प्रावधानित है उस अनुरूप जमीनी स्तरीय योजनाकरण एवं अनुश्रवण पंचायती राज संस्थानों को कार्यों के हस्तांतरण नहीं होने के कारण नहीं हो सका। इस बावत जिला योजना पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि निधि, कार्यकलापों एवं कर्मियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

3.1.7.1 निधि प्रवाह की व्यवस्था

- जिले के ज्यादातर ग्रामीण सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं विशेषकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निधि सरकारी खाते से बाहर सीधे कार्यकारी एजेंसियों को उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न विभाग विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यकारी एजेंसियों यथा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण,

⁴ सामान्य कार्य, विकास कार्य, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं पर्यावरण, लोक संपदा इत्यादि।

⁵ सामान्य प्रशासनिक समिति, विकास समिति, महिला, बाल एवं समाज कल्याण समिति, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण समिति, सरकारी संपदा समिति, बुनियादी संगठन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति।

⁶ सामान्य प्रशासनिक समिति, कृषि एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, वित्त एवं अंकेक्षण समिति, योजना एवं विकास समिति सहकारी समिति, महिला, बाल एवं समाज कल्याण समिति, वन एवं पर्यावरण समिति एवं संचार एवं कार्य समिति।

जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि से जिले में कराती है।

- योजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों एवं उनके विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ऐजेंसियों यथा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, जिला स्वास्थ्य समिति इत्यादि द्वारा किये गए व्यय का केंद्रीकृत आँकड़ा जिला योजना पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए जिला को दिये गए निधि के प्रवाह की व्यवस्था को **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

वर्ष 2009-12 में पलामू जिला के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विकासशील योजनाओं के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं अन्य ऐजेंसियों को राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त निधियों एवं उनके विरुद्ध किये गए व्यय⁷ का समेकित विवरण **तालिका-1** में दिया गया है।

तालिका-1: पलामू जिले के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्थिति
(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	योजना	नि. एवं व्य.पदा. ऐजेंसि	2009-10		2010-11		2011-12		व्यय नहीं की गई शेष की प्रगति
			उपलब्ध निधि	व्यय	उपलब्ध निधि	व्यय	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
सामाजिक	रा.गा.स्वा.मि.	जि.स्वा.स.	11.36	8.13	23.21	19.06	23.44	12.75	10.69
सामाजिक	स.बा.वि.का.	जि.स.का.प.	17.89	16.17	31.69	30.39	32.29	30.50	1.79 प्रत्यापित
सामाजिक	एस.जी.एस. वार्ड.	जि.गा.बी.ए.	12.57	8.23	12.33	5.41	14.42	2.92	11.50
सामाजिक	इं.आ.यो.	जि.गा.बी.ए.	23.18	13.17	60.62	26.11	52.98	34.80	18.18
सामाजिक	सा.शि.आ.	जि.का.पदा.	120.94	119.03	109.83	91.15	93.39	62.90	30.49
सामाजिक	म.यो.	जि.शि.पदा.	23.94	23.04	26.08	18.73	40.93	27.10	13.83
सामाजिक	आपात प्रबंधन कार्यक्रम	उपायुक्त	10.55	10.38	19.35	19.35	0.70	0.70	-
सामाजिक	एन.आर. डी.डब्लू. पी.	कार्य.अभि., डी.डब्लू एवं एस. डी.	46.78	8.09	45.76	25.46	26.24	5.27	20.97
आर्थिक	राज्य सड़क	कार्य. अभि., सड़क नि. प्र.	43.65	42.94	20.37	18.30	11.91	10.75	1.16 व्यपगत
आर्थिक	आर.जी.जी. वी. वार्ड.	कार्य.अभि., जे.एस.इ.बी.	18.57	1.61	16.96	-	16.96	-	16.96

स्रोत : पदनामित नि. एवं व्य. पदा. एवं कार्यकारी ऐजेंसियों

- नोट: 1. निधि की उपलब्धता- इसमें योजनाओं से संबंधित विगत वर्ष के अ-व्यपगत निधियों का शेष सन्निहित है।
2. पुलिस आधुनिकिकरण के लिए पूरे राज्य के लिए समेकित बजट बनाया गया न कि केंद्रीकृत जिला के लिए, इसलिए पुलिस अधीक्षक पलामू से उपलब्ध निधियों एवं उनके विरुद्ध किए गए व्यय से संबंधित सूचना नहीं पाई गई।

तालिका-1 में दिखाए गए निधियों का कम उपयोग प्रधानतः भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति, वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की विमुक्ति आदि थे जिन्हें अगले कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

⁷ व्यय में कार्यकारी ऐजेंसियों को वितरित राशि सन्निहित है।

कार्यक्रमों का कार्यन्वयन

सामाजिक प्रक्षेत्र

सामाजिक प्रक्षेत्र के अधीन जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.आ.), मध्याह्न भोजन (म.भो.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.), समेकित बाल विकास कार्यक्रम (स.बा.वि.का.) एवं पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन मानव संसाधन विकास विभाग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं पेयजल एवं स्वच्छता के अधीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यन्वयनों के विभिन्न कमियों को आगामी कंडिकाओं में विमर्शित किया गया।

3.1.8 प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सर्व शिक्षा अभियान, एक केंद्र प्रायोजित योजना, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के वर्ष 2010 तक सर्वव्यापीकरण करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान संहिता के पारा 9.1 के प्रावधानानुसार हॉउस होल्ड सर्वेक्षण करना था एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित नामांकित या अनामांकित, विद्यालय से बाहर अथवा व्यवस्थाधीन, निजी विद्यालयों अथवा स्वायत्त/ सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत इत्यादि सूचनाओं पर आधारित सूक्ष्म स्तरीय योजना तैयार करनी थी।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जे.ई.पी.सी.) राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए कार्यकारी एजेंसी है। राज्य परियोजना निदेशक राज्य स्तर पर कार्यन्वयन प्रभारी है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति योजनाकरण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2009-12 के दौरान कुल उपलब्ध राशि ₹ 303.59 करोड़ प्रारंभिक शेष ₹ 9.22 करोड़ सहित के विरुद्ध ₹ 273.10 करोड़ योजना पर व्यय की गई। अव्यवहारित राशि ₹ 30.49 करोड़ था।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में पायी गई कमियाँ नीचे वर्णित हैं:

3.1.8.1 नामांकित, अनामांकित और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों

वर्ष 2009-12 में, 6 से 14 आयु वर्ग के नामांकित, अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की जिले में स्थिति नीचे तालिका-2 में वर्णित है:

तालिका-2: नामांकित, अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों का विवरण

वर्ष	नामांकित			अनामांकित			विद्यालय छोड़ चुके			विद्यालय से बाहर रहने वाले कुल बच्चे (7+10)
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009-10	262739	242875	505614	641	954	1595	940	1399	2339	3934
2010-11	260983	251191	512174	351	523	874	583	871	1454	2328
2011-12	250162	243002	493164	1163	1218	2381	1927	2019	3946	6327

स्त्रोत: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पलामू द्वारा संधारित नामांकन आँकड़ा

तालिका-2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 में नामांकन पूर्व की वर्ष की तुलना में तनिक रूप से बढ़ा था जबकि वर्ष 2011-12 में घट गया। इसी तरह से अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की संख्या 2010-11 में घट गया परंतु 2011-12 में इसमें तेजी से बढ़ोत्तरी हुई।

3.1.8.2 छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों का नियोजन

जिला मुख्यालय से दूर के प्रखण्डों में विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात (पीटीआर) 48:1 और 60:1 के बीच रहा

सर्वशिक्षा अभियान संहिता के पारा 21.3 के प्रावधानानुसार छात्र शिक्षकों का अनुपात (पी.टी.आर.) 40:1 होना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रावधान के विरुद्ध पी.टी.आर. वर्ष 2011-12 के दौरान हुसैनाबाद, पांकी तथा टिपरा प्रखंडों में अधिकतम 60:1 था। जिला शिक्षा सूचना तंत्र (डाइस)⁸ के 2011-12 के आँकड़ा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि कुल छात्र संख्या के विरुद्ध शिक्षकों⁹ का नियोजन विभिन्न प्रखण्डों में अलग-अलग रूप से था। सदर प्रखण्ड मेदिनीनगर में पी.टी.आर. 38:1 था जबकि जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में पी.टी.आर. 48:1 एवं 60:1 के बीच था (परिशिष्ट -3.3)। ऐसा पाया गया कि दूरदराज के क्षेत्र ज्यादातर पारा शिक्षकों पर ही आश्रित थे जिनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर होती है और जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

समापन बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सरकारी शिक्षकों के उचित नियोजन के द्वारा पी.टी.आर. के अनुपात में सुधारात्मक कारवाई की जाएगी।

⁸ विद्यालय स्तर से जनित मूल आँकड़ा जिसे जिला स्तर पर संकलित किया जाता है और जो शिक्षा सूचना प्रणाली का एक भाग है।

⁹ सरकारी एवं पारा शिक्षक सम्मिलित रूप में।

3.1.8.3 विद्यालय आधारभूत संरचना

सर्वशिक्षा अभियान संहिता के पारा 26 के अनुसार वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में असैनिक कार्यों के अंतर्गत नया विद्यालय भवन (एन.एस.बी.) अतिरिक्त कक्षा (ए.सी.आर.) प्रखण्ड संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.), संकुल संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) इत्यादि का निर्माण अनुमोदित/स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत एन.एस.बी. एवं अतिरिक्त दो/तीन कमरों की कक्षाओं के निर्माण की स्वीकृत 2009-12 के दौरान दी गई जिन्हें निधि विमुक्ति से छः माह के भीतर पूर्ण करना था। यह देखा गया की 34 एन.एस.बी. जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 2.72 करोड़ थी की स्वीकृति वर्ष 2010-11 में दी गई भूमि की अनुपलब्धता के कारण दिसम्बर 2012 तक शुरू नहीं किया जा सका।

आगे, 2009-11 के दौरान मंजूर किये गए 4,858 योजना (9,721 ए. सी. आर.) जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 19.95 करोड़ थी उनमें से 688 योजनाएं (1,381 ए. सी. आर.) का निर्माण कार्य दिसम्बर 2012 तक शुरू नहीं कि जा सकी जिसे तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3: स्वीकृत, पूर्ण, नहीं लिए गए एवं अपूर्ण योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	राशि	पूर्ण योजनाओं की संख्या	राशि	नहीं ली गई योजनाओं की संख्या	राशि	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	राशि
2010-11	एन.एस.बी.	34	2.72	शून्य	शून्य	34	2.72	शून्य	शून्य
2009-10	2ए.सी.आर.	1800	58.48	1462	47.50	शून्य	शून्य	338	10.98
2010-11	2ए.सी.आर.	2253	63.08	967	27.08	285	7.98	1001	28.03
2011-12	2ए.सी.आ.	800	23.28	39	1.14	398	11.58	363	10.56
2010-11	3ए.सी.आर.	05	0.39	शून्य	शून्य	05	0.39	शून्य	शून्य
कुल		4892	147.95	2468	75.72	722	22.67	1702	49.57

स्रोत : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिये गए सूचना के अधार पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा संकलित

नोट: वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में कोई भी एन.एस.बी. एवं तीन कमरों वाले ए.सी.आर. स्वीकृत नहीं थे।

नियत तिथि की समाप्ति के बाद ₹ 49.57 करोड़ व्यय होने पर भी 1,702 योजनाएं लंबित थे

जैसा कि तालिका-3 में देखा जा सकता है कि 4,170 ली गई ए.सी.आर. निर्माण योजनाओं के विरुद्ध 1,702 (41 प्रतिशत) योजनाएं ₹ 49.57 करोड़ के व्यय के बाद भी लंबित थी जबकि पूर्ण होने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी थी। जैसा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के मासिक प्रगति प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त योजनाएं मुख्यतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच विवाद, भूमि के अनुपलब्धता के कारण लंबित थी।

इस तरह 1,702 ए.सी.आर. के पूर्ण न होने के कारण आधारभूत संरचना तैयार करने का वांछित उद्देश्य की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो सकी। यह भी पाया गया कि 312 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालयों के 936 कमरों के जरूरत (एस.एस.ए. के अनुसार प्रति विद्यालय 3 कमरे) के विरुद्ध 1,532 कमरों (मार्च 2012 डाइस आंकड़ा के मुताबिक) का निर्माण कराया गया जो कि 596 कमरे अधिक थे कमरों के निर्माण की स्वीकृति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दी गई। इन कमरों के निर्माण में न्यूनतम लागत मूल्य ₹ 1.25 लाख प्रति कमरा (मुख्य अभियंता, झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रतिवेदित) के आधार पर ₹ 7.45 करोड़ संगणित किया गया।

समापन बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं को पूर्ण करने की कारवाई की जाएगी। अधिक कक्षाओं के निर्माण के विषय में कहा गया कि मामले की जाँच की जाएगी।

3.1.8.4 मूलभूत सुविधाएं

सर्व शिक्षा अभियान संहिता के पारा 26.10 के अनुसार, एस.एस.ए. और पेय जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के साथ मिलकर सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल, सामान्य शौचालय और अलग से बालिका शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरा के अनुसार 2,656 विद्यालयों में अप्रैल 2012 तक उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति **परिशिष्ट-3.4** में दी गई है। यह देखा गया कि जिले के 84 प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य शौचालय नहीं थे, एवं 60 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी और 98 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली नहीं थी। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समापन बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसंबर 2012) कि मूलभूत सुविधाओं के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराया जाएगा।

3.1.8.5 मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण

सर्व शिक्षा अभियान संहिता की कंडिका 25 के अनुसार कक्षा I से VIII तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना था। विद्यालयों में वास्तविक नामांकन के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पाठ्य पुस्तकों की संख्या का आकलन कर राज्य परियोजना निदेशक (एस.पी.डी.) को आपूर्ति मांग प्रस्तुत करना था। सत्र के शुरुआत में (अप्रैल) पुस्तक प्राप्ति के बाद प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के माध्यम से छात्रों के बीच वितरण कराना था।

हमने यह देखा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा गलत माँग प्रस्तुत किये जाने और आगे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा उसमें भी कटौती किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच छात्रों में 24 से 34 प्रतिशत तक कम पुस्तकें वितरित की गईं।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मध्याह्न भोजन में औसत उपस्थिति के आधार पर पुस्तकों की आपूर्ति किये जाने के कारण छात्रों के बीच कम पुस्तकों का वितरण होना को इसके लिए मुख्य कारण बताया। जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मध्याह्न भोजन की औसत उपस्थिति पर पुस्तकों की आवश्यकता का गणना सही नहीं था जिसके परिणाम स्वरूप मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की सुविधा से छात्रों को वंचित होना पड़ा।

समापन बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की मध्याह्न भोजन की औसत उपस्थिति के आधार पर पुस्तकों की आपूर्ति गलत थी।

3.1.9 मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने कक्षा I -V तक के छात्रों के बीच नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को बढ़ाकर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु नवम्बर 2003 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। जिले के सभी 20 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में यह योजना अक्टूबर 2007 से कक्षा VI -VIII तक बढ़ाई गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा I-V तक के छात्रों को 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस एवं कक्षा VI -VIII तक के छात्रों को 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस के दर से पका हुआ खाना देना था। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति जो एक ग्राम शिक्षा समिति की उप समिति है को खाना पकाने पर होनेवाले व्यय को उपलब्ध कराना था। जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः जिला शिक्षा अधीक्षक और प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

हमने यह पाया कि कुल ₹ 82.71 करोड़ उपलब्ध राशि के विरुद्ध ₹ 68.87 करोड़ मध्याह्न भोजन पर वर्ष 2009-12 के बीच व्यय हुआ और ₹ 13.84 करोड़ (17 प्रतिशत) शेष रहा। शेष राशि का वृहत भाग (₹ 13.84 करोड़ के विरुद्ध ₹ 13.53 करोड़) विद्यालयों को खाना पकाने का खर्च की राशि डी.एस.इ. जनवरी 2012 से मार्च 2012 के दौरान नहीं दिया गया क्योंकि विद्यालयों ने विगत खर्च का व्यौरा नहीं दिया था।

3.1.9.1 खाद्यान का आवंटन, उठाव एवं उपयोग

छात्रों के नामांकन के आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग जो कि नोडल विभाग नामांकित था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को जिलावार खाद्यान की आवश्यकता संसूचित करता है। भारत सरकार का मंत्रालय खाद्यान के आबंटन की सूचना राज्य सरकार को देती है। विभाग आबंटन की सूचना जिला के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम को देती है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान का आवंटन और उसके विरुद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव तालिका-4 में निर्दिष्ट है:

तालिका-4: खाद्यान के कम उठाव का विवरण

(मात्रा मिट्टीक टन में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आवंटित	राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाई गयी मात्रा	कम उठाव (प्रतिशत)
2009-10	7706.27	6036.27	1670.00(22)
2010-11	7616.25	6484.04	1132.21(15)
2011-12	5970.78	5382.44	588.34(10)

स्रोत: मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, जिला प्रबंधक खाद्य निगम, पलामू

जैसा की उपरोक्त तालिका-4 में देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष खाद्यान का कम उठाव हुआ। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा की भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य खाद्य निगम को खाद्यान की आपूर्ति नहीं की गई जिसके कारण आवंटन व्यपगत हुआ और कम उठाव हुआ। यह जिला प्रशासन एवं राज्य खाद्य निगम के बीच समन्वय की कमी दर्शाता है।

जिला शिक्षा अधीक्षक के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया की जनवरी और फरवरी 2012 के बीच सात प्रखण्डों¹⁰ के 1,133 विद्यालयों में से 167 विद्यालयों में पाँच से 24 दिनों तक मध्याह्न योजना खाद्यान आपूर्ति न होने के कारण बाधित रहा। राज्य खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान की आपूर्ति न होने के कारण उपरोक्त वर्णित विद्यालयों के 41,126 नामांकित बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के लाभ से वंचित रहे।

3.1.9.2 राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत एवं विद्यालयों द्वारा खाद्यान उठाव की मात्रा में विसंगति

भारत सरकार द्वारा आवंटित चावल का उठाव राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय राज्य खाद्य निगम से किया जाता है और उसे राज्य खाद्य निगम अपने गोदामों में रखता है। प्रखण्डों में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी खाद्यान वितरण हेतु विद्यालयों को राज्य खाद्य निगम से चावल उठाव के

¹⁰ छतरपुर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, लेस्लीगंज, नौडीहाबाजार, पाटन तथा सतबरवा।

लिए परमिट निर्गत करते हैं तथा खाद्यान उठाव संबंधित एक रिपोर्ट का संकलन करते हैं।

1,974.79 लाख टन
चावल जिसका मूल्य
₹ 4.12 करोड़ था की
विसंगतियों का मिलान
नहीं किया गया था

दस राज्य खाद्य निगम गोदामों के ग्रेन स्टेटमेंट/परिवहन रजिस्टर फार्म-बी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के खाद्यान उठाव रिपोर्ट (जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये) के जाँच से पता चला कि वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य खाद्य निगम ने विद्यालयों को कुल 12,900.73 मिट्रिक टन चावल निर्गत किया परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक के रिपोर्ट के मुताबिक (जो कि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के रिपोर्टों के संकलन के आधार पर था) विद्यालयों द्वारा इस दौरान उठाव की कुल मात्रा 10,925.94 मिट्रिक टन था। इस तरह 1,974.79 मिट्रिक टन (12,900.73 मि.ट.-10,925.94 मि.ट.) चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़¹¹ की विसंगति थी। अभिलेखों में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिसे यह पता चले की जिला शिक्षा अधीक्षक ने राज्य खाद्य निगम के लेखाओं से मिलान किया था।

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) की विसंगति का मिलान कर लिया जाएगा।

3.1.9.3 मध्याह्न भोजन चावल के अस्थायी विचलन का समायोजन नहीं किया जाना

मध्याह्न भोजन की
6,840.28 क्विंटल
चावल जिसका मूल्य
₹ 38.65 लाख था को
अन्य योजनाओं में
विचलित कर दिया
गया

राज्य खाद्य निगम के गोदामों के ग्रेन स्टेटमेंट के जाँच से पता चला कि सात राज्य निगम गोदामों¹² के सहायक गोदाम प्रबंधकों ने 6,840.28 क्विंटल मध्याह्न भोजन चावल जिसका मूल्य ₹ 38.65 लाख (खरीद मूल्य ₹ 565 प्रति क्विंटल के दर के आधार पर) था का विचलन गरीबी रेखा से नीचे के लाभुक (बी.पी.एल.), अंततोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) और अतिरिक्त बी.पी.एल. योजनाओं में किया गया जिसका समायोजन मार्च 2012 तक नहीं हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना दिशानिर्देश में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि चावल का विचलन कहीं और योजनाओं में विचलन किया जा सके अतः किया गया विचलन अनियमित था।

डी.एस.इ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विसंगतियों का मिलान किया जाएगा।

3.1.9.4 कुकिंग फंड का संवितरण

कुकिंग फंड ₹ 3.17 प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस कक्षा I-V एवं ₹ 4.75 प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस कक्षा VI-VIII के लिए सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को खाना बनाने हेतु देय था। जिला शिक्षा अधीक्षक को बैंकर

¹¹ भारत सरकार द्वारा प्रावधानित मितव्ययी दर ₹ 20880 प्रति मिट्रिक टन के आधार पर।

¹² विश्रामपुर, चैनपुर, छतरपुर, हरिहरगंज, ओवरब्रिज(मेदिनीनगर), पदमा और पांकी।

चैक द्वारा जो बैंक एडवाइस से समर्थित थे के द्वारा कुकिंग फंड का संवितरण करना था जो सीधे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा होना था। चूकिं कुकिंग फंड का कक्षा I-V एवं कक्षा VI-VIII के लिए अलग-अलग थे अतः इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवंटन प्राप्त था।

कुकिंग फंड के उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:

- जिला शिक्षा अधीक्षक के अभिलेखों के जाँच से पता चला कि अप्रैल से अक्टूबर 2011 के बीच ₹ 16.29 लाख कुकिंग फंड का संवितरण 53 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालयों एवं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच कक्षा I-V के लिए किया गया था। इसके अलावे उन्हीं विद्यालयों को ₹ 10.33 लाख का आवंटन उसी बैंक एडवाइस के द्वारा कक्षा VI-VIII के छात्रों के लिए दिया गया। परंतु विद्यालयों के डाइस रिपोर्ट से उद्घटित हुआ कि इन विद्यालयों में कक्षा VI-VIII नहीं चल रहे थे इस तरह इन विद्यालयों में कक्षा VI-VIII में कोई छात्र नहीं थे। इस तरह वैसे कक्षाएं जो नहीं चल रही थी और जिनमें छात्र नहीं थे के लिए कुकिंग फंड दिये जाने से उसकी उपयोगिता के बारे में गंभीर शंका उत्पन्न होती है।
- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मध्याह्न भोजन से संबंधित विद्यालय वार एक मासिक रिपोर्ट संकलित करता है जिसमें नामांकित एवं लाभान्वित छात्रों की संख्या, महीने में विद्यालय दिवसों की संख्या चावल एवं कुकिंग फंड का प्रारंभिक एवं अंत शेष तथा दोनों की महीने के दौरान प्राप्ति और खर्च की सूचना होती है जिसे वह जिला शिक्षा अधीक्षक को संसूचित करता है। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, हुसैनाबाद के माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 के मासिक रिपोर्ट के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि कुकिंग फंड एवं अनाज के मद में अगस्त एवं अक्टूबर 2011 के दौरान 23 विद्यालयों में ₹ 6.29 लाख का नकारात्मक अंतशेष था जो यह दर्शाता है कि दोनों कारक विद्यालय में उपलब्ध नहीं थी और विद्यालय कर्मों अपने स्तर से खाना बना कर राशि प्राप्त होने के उपरांत उसका समायोजन कर रहे थे। मध्याह्न भोजन मार्ग दर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कुकिंग फंड एवं अनाज के मद में नकारात्मक अंतशेष का समायोजन करना अनियमित था।

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त विसंगति का मिलान किया जाएगा।

3.1.9.5 परिवहन व्यय

भारत सरकार से प्राप्त परिवहन व्यय के उपयुक्त उपयोग के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक उत्तरदायी है। भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों के मध्य खाद्यान का परिवहन राज्य खाद्य निगम द्वारा ₹ 37.प्रति क्विंटल (₹55 प्रति क्विंटल की दर से अप्रैल 2011 से) की दर से किया जाता था। माँग के प्रस्तुत किये जाने के बाद, जिला शिक्षा अधीक्षक परिवहन व्यय का भुगतान माँग की जाँच विद्यालयों द्वारा किये गये कुल खाद्यान का उठाव से करने के बाद करते हैं।

यह पाया गया कि राज्य खाद्य निगम ने वर्ष 2009-12 के दौरान 1.81 लाख क्विंटल अनाज उठाव के विरुद्ध कुल ₹77.26 लाख का माँग प्रस्तुत किये। परंतु सभी 20 प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत भंडारण/उपयोगिता रिपोर्ट की जाँच से ज्ञात हुआ कि माध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उस दौरान कुल उठाव मात्र 1.78 लाख क्विंटल ही हुआ जिसके लिए ₹ 73.87 लाख परिवहन व्यय राज्य खाद्य निगम को देय था। परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक ने राज्य खाद्य निगम के माँग को बिना जाँचे ही ₹ 92.03 लाख परिवहन व्यय मद में भुगतान कर दिया। इस तरह परिवहन व्यय मद में राज्य खाद्य निगम को कुल ₹ 18.16 लाख का अधिक भुगतान कर दिया गया जो दिसम्बर 2012 तक असमायोजित था।

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) की मामले की जाँच की जाएगी।

3.1.10 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.)

भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में रा.ग्रा.स्वा.मि. इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषता गरीब एवं सुभेदय लोगों तक पहुँचात्मक, क्षमतात्मक, प्रभावपूर्ण एवं विश्वसनीय चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। यह कार्यक्रम राज्य में अक्टूबर 2007 को समाविष्ट किया गया था।

स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति (जि.स्वा.स.) रा.ग्रा.स्वा.मि., पलामू के सचिव सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मेदिनीनगर दो अनुमण्डलीय अस्पताल, दस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स.स्वा.के.), 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) 171 स्वास्थ्य उप केंद्र (स्वा.उ.के.) एवं 32 रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लोगो की स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

एसएफसी द्वारा
खाद्यान्नों की
वास्तविक परिवहन
व्यय का दावा पुष्टि के
बिना भुगतान किया
गया था

2009-12 की अवधि के दौरान रा.ग्रा.स्वा.मि. के विभिन्न घटकों के लिए उपलब्ध ₹ 19.31 करोड़ में सन्निहित ₹ 4.14 करोड़ की प्रारंभिक शेष में से ₹ 12.75 करोड़ व्यय किया गया था और ₹ 10.69 करोड़ अव्ययित अवशेष था।

3.1.10.1 योजना

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए मकानों और सुविधाओं का एक सर्वेक्षण किया जाना था। जिला स्तर पर रा.ग्रा.स्वा.मि. के कार्यान्वयन एजेंसी उपायुक्त की शीर्षता में जिला स्वास्थ्य समिति को जिला के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करना अपेक्षित था। निचले स्तर के कार्यकारियों से प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत योजना को तैयार करना था।

रा.ग्रा.स्वा.मि. मार्गदर्शिका के अनुसार जिला स्तर पर (मई 2009) अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जि.स्वा.मि., जिला परिषद एवं एक समेकित जि.स्वा.मि. का गठन करना था। जि.स्वा.स. का शासकीय निकाय का प्रमुख उपायुक्त एवं कार्यकारी समिति का प्रमुख जि.वि.आ./मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी है सबसे निचले स्तर से योजना, परिक्षण मूल्यांकन, लेखांकन एवं डाटा बेस प्रबंधन के लिए जि.स्वा.स. उत्तरदायी है।

वार्षिक योजना के लिए मकानों और सुविधाओं का सर्वेक्षण नहीं हुआ था

हमने यह पाया कि 2009-10 के दौरान विलम्ब से जि.स्वा.स. का गठन होने के कारण वार्षिक योजना तैयार नहीं हो पायी थी। दिसम्बर 2012 तक जि.स्वा.स. का गठन होने के उपरांत भी मकानों और सुविधाओं का सर्वेक्षण नहीं हुआ था। प्रखण्डों एवं गाँव से कोई इनपुट के बिना ही 2010-11 एवं 2011-12 के लिए वार्षिक योजना तैयार किया गया था।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की प्रा.स्वा.के. एवं सा.स्वा.के. से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के उपरांत अभिवार्षिक योजना को तैयार किया जा रहा है।

3.1.10.2 संगठनात्मक ढांचा

स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की महत्वपूर्ण कमी थी

रा.ग्रा.स्वा.मि. के मार्गदर्शिका के अनुसार 80,000, 20,000 एवं 3,000 से ऊपर की जनसंख्या के लिए क्रमशः एक स.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. होना था। तदनुसार जिले के लिए अवश्य 26 सा.स्वा.के., 104 प्रा.स्वा.के. एवं 699 स्वा.उ.के. होना था। दिसम्बर 2012 तक इसके विरुद्ध 10 सा.स्वा.के., 21 प्रा.स्वा.के. एवं 171 स्वा.उ.के. था। हमने यह पाया कि, भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त

सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी थी जिसके संबंध में अगले कंडिकाओं में विमर्श किया गया है।

यह भी पाया गया कि पूर्वोत्तर प्रा.स्वा. केंद्रों, अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्रों एवं उप केंद्रों को प्रोन्नत करने के उपरांत भी अवश्यक सुविधाओं¹³ को तैयार नहीं किया गया था एवं 10 सा.स्वा.के., 21 प्रा.स्वा.के. एवं 171 स्वा.उ.के. उन्ही भवनों में चलाया जा रहा था। हालांकि पाँच सा.स्वा.के., पाँच प्रा.स्वा.के. एवं 12 स्वा.उ.के. का भवन निर्माण प्रगति पर था (जून 2012)।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति विभाग को प्रतिवेदित किया गया है।

स्वास्थ्य केंद्रों की कमी के परिणामस्वरूप जिले के ग्रामीण गरीबों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाएं प्राप्त नहीं हो पायी थी।

3.1.10.3 स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (भा.लो.स्वा.मा.) के नियमों के अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सा.स्वा. केंद्रों को खून भंडारण, नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधाएं, एक्स-रे, इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम (इ.का.ग्रा.) शल्य चिकित्सागृह, गर्भमोचन सुविधा, प्रसव गृह, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति इत्यादि से सुसज्जित करना था। प्रा.स्वा.के./सा.स्वा. केंद्रों में प्रसव गृहों की सुविधा भी रखनी थी।

हमने यह पाया (जून 2012) की किसी भी सा.स्वा. केंद्रों में खून संग्रहण, गर्भमोचन सुविधा, एक्स-रे सुविधा, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, ई.सी.जी. एवं स्त्री रोग की सुविधाओं की आधारभूत सेवाओं की सुविधाएं नहीं थीं। भा.लो.स्वा.मा. के 30 शय्या के मानकों के विरुद्ध सभी सा.स्वा. केंद्रों में केवल छः शय्या थी। 171 स्वा.उ. केंद्रों में से 99 किराये के भवन में चलाये जा रहे थे एवं 11 प्रा.स्वा. केंद्रों एवं सभी 171 स्वा.उ. केंद्रों में निरंतर जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। 11 प्रा.स्वा. केंद्रों एवं 136 स्वा.उ. केंद्रों में प्रसव गृह उपलब्ध नहीं थे (परिशिष्ट 3.5)। इस प्रकार जिले में भा.लो.स्वा.मा. के मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया गया था।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा नीति का निर्णय किया जा रहा है।

बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों में से अधिकांश में उपलब्ध नहीं थे

¹³ रक्त भंडारण, शिशु चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, ई.सी.जी. आदि।

चिकित्सकों और पारा
चिकित्सकों की भारी
कमी थी

3.1.10.4 मानव संसाधन

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की निपुणता और गुणवत्ता मुख्यतः योग्य चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य चिकित्सीय कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जिले में 430 चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सीय कर्मचारियों के पद के स्वीकृत बल के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल 214 पदों में पदास्थापित किया गया जिससे 216 पद (50 प्रतिशत) में से चिकित्सक श्रेणी में (34 प्रतिशत), अक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.) (49 प्रतिशत) प्रयोगशाला तकनिशियन (94 प्रतिशत), स्टाफ नर्स (20 प्रतिशत), फार्माशिस्ट (91 प्रतिशत) एवं महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका (म.स्वा.नि.) (65 प्रतिशत) का पद रिक्त था (परिशिष्ट-3.6)।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मानव संसाधन की वृद्धि के लिए सरकार के पास नीति निर्णय विचाराधीन था।

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत, एक 'सहिया'¹⁴ की नियुक्ति प्रति हजार जनसंख्या पर करना था एवं कम से कम एक प्रति राजस्व गाँव के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए समुदाय के मध्य परस्पर स्वास्थ्य प्रणाली की जानकारी देगी।

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत जि.स्वा.स. द्वारा जनसंख्या के आधार पर 'सहिया' की आवश्यकता का निर्धारण करना था जिसमें 2,700 में से 1,992 सहियाओं को दिसम्बर 2012 तक नियुक्त किया गया था।

इसके अलावे जिला में सहियाओं को छः मड्यूल्स¹⁵ में प्रशिक्षित किया जाना था। यद्यपि हमने यह भी पाया कि दिसम्बर 2012 तक 1,992 सहियाओं में से 148, 5वीं एवं 6ठीं मड्यूल्स में अप्रशिक्षित रहीं। पहले चार मड्यूल्स में प्रशिक्षण निजी संस्थाओं द्वारा दिए गए। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मानव संसाधन की वृद्धि के लिए सरकार के पास नीति निर्धारण विचाराधीन था।

¹⁴ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

¹⁵ प्रथम मड्यूल्स: सहिया संदेश परिचय, द्वितीय मड्यूल्स: सहिया संदेश स्वस्थ शिशु उज्ज्वल भविष्य तृतीय मड्यूल्स: भोजन, पानी और सफाई, चतुर्थ मड्यूल्स: सुरक्षित मातृत्व पंचम मड्यूल्स: नेतृत्व क्षमता विकास तथा षष्ठ मड्यूल्स: बीमारी और पोषण।

3.1.10.5 जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी और गृह प्रसव के बदले संस्थागत (अस्पताल में) प्रसव में वृद्धि करना था। शिशु जन्म से पूर्व देखभाल ज.सु.यो. का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके लिए सभी निबंधित गर्भवती महिलाओं को तीन पूर्ण जाँच और अन्य चिकित्सीय सुझाव देना था।

जिले में पंजीकृत
1,12,363 गर्भवती
महिलाओं में से केवल
45,310 (40 प्रतिशत)
महिलाओं का ही
संस्थागत प्रसव किया
गया

यह पाया गया कि 2009-12 की अवधि के दौरान ₹ 14.24 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से इस योजना में ₹ 11.33 करोड़ व्यय किया गया था। हमने यह पाया कि 2009-12 की अवधि में 83,213 (74 प्रतिशत) गर्भवती महिलाओं को सभी तीन पूर्ण जाँच (पू.जाँ.) की प्राप्ति हुई थी। 1,12,363 निबंधित गर्भवती महिलाओं में से केवल 45,310 (40 प्रतिशत) का संस्थागत प्रसव किया गया था। विस्तृत विवरण तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5: जननी सुरक्षा योजना का वर्षवार विवरण

वर्ष	निबंधित महिलाएं	तीन पूर्ण जाँच	संस्थागत प्रसव (प्रतिशत)
2009-10	40059	28083	10759(26.85)
2010-11	42028	32894	17649(41.99)
2011-12	30276	22236	16902(55.82)
कुल	112363	83213	45310(40.32)

स्रोत: जिला स्वास्थ्य समिति पलामू

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जागरूकता का विस्तार एवं सुचना शिक्षा एवं संचार के लिए अतिरिक्त पदक्षेप उठाया जायगा।

3.1.10.6 अंधापन नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (रा.अ.नि.आ.) का लक्ष्य मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वृद्धि, स्कूली बच्चों की आखों की जाँच तथा उसे मुफ्त चश्मा प्रदान करना, नेत्रदान को बढ़ावा एवं दान केंद्रों एवं नेत्र बैंकों की स्थापना के द्वारा अंधापन की घटनाओं में कमी लाना था।

4,962 अपवर्तक
त्रुटि मामलों के
खिलाफ केवल
2,219 चश्मे स्कूली
बच्चों के लिए
प्रदान किया गया

2009-12 की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के लिए ₹ 1.20 करोड़ उपलब्ध था जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 1.07 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि मोतियाबिन्द ऑपरेशन में जिले की उपलब्धता अच्छी थी, 2009-10 में 5,664 (6,600 की लक्ष्य में से 86 प्रतिशत) 2010-11 में 6,013 (93 प्रतिशत) एवं 2011-12 में 6,083 (87 प्रतिशत) था। यद्यपि, अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन कमियों के मामलों में स्कूली बच्चों को

4,962 के विरुद्ध केवल 2,219 (45 प्रतिशत) चश्मा प्रदान किया गया था। इसके अलावे, नेत्रदान की सुविधाएं एवं नेत्र बैंक की स्थापना नहीं की गई थीं। समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि निधि की कमी के कारण चश्मों की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। हम यह मानने के लिए राजी नहीं हैं क्योंकि अभिलेखों में ऐसा नहीं पाया गया कि निधि प्राप्त के लिए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया था।

3.1.10.7 अक्रियाशील उपस्कर

हमारी जाँच में पाये गये बेकार अक्रियाशील उपस्करों का विमर्श निम्नांकित है:

- 2008-09 के दौरान ₹ 1.69 करोड़ मूल्य के सि.टी. स्कैन मशीन का क्रय किया गया था जिसे सदर अस्पताल, पलामू में मार्च 2009 को अधिष्ठापित किया गया था। राज्य सरकार एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य किये गये आपसी करार (जनवरी 2008) के अनुसार, उपयोगकर्ता (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) तीन फेज की ट्रांसफरमर की व्यवस्था करेगा एवं विक्रेता द्वारा वारंटी अवधि के एक वर्ष के दौरान रखरखाव के लिए भुगतान के आधार पर मानव संसाधन की व्यवस्था करनी थी।

वर्ष 2008-09 के
दौरान खरीदे गये मूल्य
₹ 1.69 करोड़ के सीटी
स्कैन मशीन
रेडियोलॉजिस्ट के
अभाव में बेकार पड़ा
है।

हमने यह पाया कि अगस्त 2012 में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी परंतु दिसम्बर 2012 तक न तो रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई थी और न ही ट्रांसफरमर का अधिष्ठापन किया गया था। इस प्रकार ₹ 1.69 करोड़ व्यय के उपरांत भी उपस्कर अक्रियाशील रहा एवं रोगियों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की मशीन को क्रियाशील करने के लिए प्रभावपूर्ण पदक्षेप उठाया जा रहा है एवं मामले को उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित किया गया है।

- उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया गया (मार्च 2006) की सदर अस्पताल में ₹ 19.59 लाख की मूल्य का मशीनी लौन्ड्री का अधिष्ठापन करना था। मशीनी लौन्ड्री को दिसम्बर 2010 में अधिष्ठापित किया गया था। आपूर्तिकर्ता (मेसर्स फॅन्ट सिस्टम प्रा0 लिमिटेड, राँची) के साथ हुई करार के अनुसार समझौता की गई दर पर इसका अधिष्ठापन एवं ₹ 1.50 प्रति कपड़े तथा ₹ 5.00 प्रति कम्बल धोने एवं चलाने के लिये उत्तरदायी था। आपूर्तिकर्ता को अधिष्ठापन की तिथि

से आगामी पाँच वर्ष तक मशीन का रख-रखाव करना था। जबकि, मशीनी लौन्ड्री की अधिष्ठापन (दिसम्बर 2010) के बाद से यह अक्रियाशील था। आपूर्तिकर्ता के साथ कई पत्राचार के बाद भी आपूर्तिकर्ता नहीं आया था। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दिसम्बर 2012 तक आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया था। इस प्रकार, मशीनी लौन्ड्री अधिष्ठापन में ₹ 19.59 लाख का निष्फल व्यय प्रमाणित हुआ था।

- अगस्त 2009 को सदर अस्पताल में ₹ 27.45 लाख मूल्य के एक इनसिनेटर अन्य उपकरणों के साथ क्रय किया गया था एवं अधिष्ठापित किया गया था। आपूर्तिकर्ता के साथ किये गये करार के अनुसार इनसिनेटर को चलाने के लिये एक प्रशिक्षित व्यक्ति की व्यवस्था की जानी थी। जबकि, जिला पदाधिकारियों द्वारा स्मार निर्गत करने के बावजूद आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति का प्रबंध नहीं करने के कारण इनसिनेटर अब तक अक्रियाशील था, इस प्रकार, ₹ 27.45 लाख व्यय किये जाने का बाद भी जिस उद्देश्य से, यानी चिकित्सीय अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किये जाने के लिये इनसिनेटर अधिष्ठापन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। एवं यह पाया गया कि चिकित्सीय अपशिष्ट खुले में पड़े हुये थे जिससे स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही थी।



सदर अस्पताल, मेदिनीनगर के परिसर में खुले पड़े जैव चिकित्सा अपशिष्ट

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मशीनी लौन्ड्री एवं इनसिनेटर को चालू करने के लिये पदक्षेप उठाये जा रहे हैं।

3.1.11 समंकित बाल विकास सेवा (स.बा.वि.से.) योजना

समंकित बाल विकास सेवा (स.बा.वि.से.) योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना, का उद्देश्य है कि बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने और समूचित पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा के माध्यम से माताओं में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के आवश्यकताओं को समझाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन सेवाओं में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम(अ.पो.का.), टीकाकरण, विद्यालय

पूर्व शिक्षा(वि.पू.शि.), स्वास्थ्य जाँच एवं पोषण एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम सन्निहित था। इस योजना के लाभुकों में छः माह से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिला, दुग्धवती माताएं एवं किशोरी बालिकाएं (11 से 18 आयु के मध्य) सन्निहित है। ये सेवाएं लाभुकों को वितरित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता (आं.का.) एवं आंगनबाड़ी सहायक (आं.स.) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गाँव स्तर के लिए योजना को केंद्रीकृत किया गया था। इस योजना का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (जि.स.का.पदा.) एवं प्रखण्ड स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों की सहायता से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाना था। जिले में 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 20 प्रखण्डों को 11 बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्ण किया जाना था।

2009-12 की अवधि के दौरान, स.बा.वि.यो. के सभी घटकों के अंतर्गत इस योजना में ₹ 148.40 करोड़ की निधि जि.स.क.पदा. के पास उपलब्ध थी। इनमें से ₹ 139.55 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 8.85 करोड़ अव्ययित शेष था।

3.1.11.1 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया

भारत सरकार के निर्देशानुसार (अप्रैल 2007), 400 से 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करना था। यद्यपि, जि.स.क.पदा. द्वारा कहा गया (फरवरी 2013) की जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया गया था। जिले के जनसंख्या के आधार पर 750 की औसत जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र था। हमने यह पाया कि, 2009-11 के दौरान स.बा.वि.यो. के अधीन समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड ने 38 आं.के. निर्माण के लिए ₹ 1.64 करोड़ आवंटित किया था। यह निधि दो कार्यकारी एजेंसियों¹⁶ को विमुक्त किया गया था। दिसम्बर 2012 तक भवन प्रमण्डल द्वारा ₹ 7.53 लाख पर दो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया था। अंचल अधिकारियों (अं.अ.) द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बाकी 36 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2012 तक कार्यकारी एजेंसियों के पास ₹ 1.57 करोड़ पड़े हुए थे।

भूमि के अभाव में
36 आंगनबाड़ी केंद्रों
का निर्माण नहीं
किया गया था

¹⁶ 2009-10 में भवन प्रमण्डल, मेदिनीनगर को तीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹ 12.96 लाख और 2010-11 में ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, मेदिनीनगर को 35 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹ 1.51 करोड़।

समापन बैठक के दौरान जि.स.का.पदा. ने कहा दिसम्बर 2012 की कार्यकारी एजेंसियों को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश निर्गत किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त सुविधाएं

कुल 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों से 2,484 में कोई शौचालय की सुविधा नहीं थी और 2,026 में कोई नलकूप की सुविधा नहीं थी

यह पाया गया कि जिले में कुल 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 2,484 (96 प्रतिशत) में शौचालय नहीं थे एवं 2,026 में नलकूप (पानी की सुविधा) नहीं थी। 11 बा.वि.प.पदा. कार्यालय में से आठ के पास निजी भवन नहीं था एवं 2,167 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के भवनों में थी इस प्रकार अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 15 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन जर्जर अवस्था में थे।



चियांकि आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति को प्रदर्शित करती छायाचित्र (19.6.2012)

मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्यक्रम की पहुँच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जबकि योजना की सभी सेवा सुविधाएं समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आते हैं।

3.1.11.2 अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में कमी

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) का लक्ष्य शून्य से छः वर्ष के आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाएं तथा धात्री माताओं का सम्पूर्ण विकास करना था। यह बच्चों में कुपोषण के रोकथाम के लिए एक प्रभावकारी साधन था। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के लिए जिले में जनसंख्या के आधार पर की गई थी। अनुपूरक पोषण सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को वर्ष में 300 दिन या महीने में 25 दिन देना था।

एस.एन.पी. में छः माह से छः वर्ष के आयु के बीच के बच्चे और उसी कोटि के कुपोषित बच्चे को दोहरे मात्रा में प्रतिदिन 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन देना था। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, दुग्धवती माताएं और किशोरी बालिकाएं को सुखा खाद्यान टेक होम राशन देना था। 2009-12 के दौरान 11 योजनाओं में से 10 के नमूना जाँच में लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा की तालिका-6 में निर्दिष्ट है।

तालिका-6: संचयित लक्ष्य, प्राप्ति और कमी

वर्ष	एस0एन0पी के अंतर्गत लाभान्वित लाभुकों की संख्या		
	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत)
2009-10	229300	142333	86967(38)
2010-11	233200	148813	84387(36)
2011-12	232829	148682	84147(36)
कुल	695329	439828	255501(36.74)

स्रोत : जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू

तालिका-6 से प्रकट होता है कि लक्ष्य के विरुद्ध 36 से 38 प्रतिशत से कम प्राप्ति हुआ था जिसके कारण 1.92 लाख बच्चे, 0.26 लाख दुग्धवती महिलाएं, 0.25 लाख गर्भवती महिलाएं और 0.13 लाख किशोरी बालिकाएं इस योजना में शामिल नहीं किये गये थे। यद्यपि, जि.स.क.पदा. ने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए जनसमूह में कोई कदम नहीं उठाए।

3.1.11.3 मानव बल प्रबंधन

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) की दक्षता एवं गुणवत्ता मुख्य रूप से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध दक्ष पर्यवेक्षक श्रेणी जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) तथा महिला पर्यवेक्षिका (एल.एस.) के साथ-साथ भूस्तरीय कार्यकर्ता (आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका) पर निर्भर है। सी.डी.पी.ओ. एवं एल.एस. की मुख्य जिम्मेवारी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना था जो कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। डी.एस.डब्लू.ओ. के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि आई.सी.डी.एस. कर्मियों के सभी श्रेणियों में जुलाई 2012 तक काफी रिक्तियाँ थी जिसे तालिका-7 में दर्शाया गया है:

तालिका-7: कार्यरत बल की विवरणी (जुलाई 2012)

श्रेणी	स्वीकृत बल	कार्यरतबल	रिक्ति (प्रतिशत)
सी0डी0पी0ओ0	11	03	08 (73)
महिला पर्यवेक्षिका	69	20	49 (71)
संख्यिकी सहायक	12	03	09 (75)
लिपिक	13	08	05 (38)
कुल	105	34	71 (68)

आंगनवाड़ी सेविका	2583	2428	155 (6)
आंगनवाड़ी सहायिका	2276	2081	195(9)
कुल	4859	4509	350 (7)

स्रोत: जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू

तालिका-7 से सुस्पष्ट है कि जिले में सभी श्रेणियों में कुल रिक्ति 68 प्रतिशत थी। इसके अलावे आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों में क्रमशः 155 और 195 पद रिक्त पड़े थे परिणामस्वरूप 350 आंगनवाड़ी केंद्र एकल कर्मों द्वारा निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्र के सेविकाओं के सहयोग से संचालित हो रहे थे। पर्याप्त मानव बल की कमी और सी.डी.पी.ओ. एवं एल.एस. द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के कम पर्यवेक्षण के कारण आई.सी.डी.एस. सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हमने यह पाया कि 2009-12 की अवधि के दौरान, नौ सी.डी.पी.ओ. ने लक्षित 9,720 दौरो के विरुद्ध केवल 4,703 दौरे और दस एल.एस. ने केवल 16,833 दौरे कुल लक्षित 29,220 दौरो के विरुद्ध किया।

जॉब आरिएन्टेशन

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और रिफ़ेसर कोर्स का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कमी थी

3.1.11.4 प्रशिक्षण

योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पूरी सेवा अवधि में एक बार जॉब आरिएन्टेशन प्रशिक्षण और प्रत्येक दो वर्षों में एक बार रिफ़ेसर कोर्स का प्रशिक्षण सभी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका और सी.डी.पी.ओ. को देना था। डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को सभी अप्रशिक्षित कर्मियों की सूची निदेशालय को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करानी थी।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि जॉब आरिएन्टेशन और रिफ़ेसर कोर्स का प्रशिक्षण अपर्याप्त थे जैसा कि तालिका-8 में वर्णित है:

तालिका-8: प्रशिक्षण में कमी का विवरण (जुलाई 2012)

कोर्स	लक्ष्य			प्राप्ति			कमी		
	आ.से.	आं.स.	एल.एस.	आ.से.	आं.स.	एल.एस.	आ.से.	आं.स.	एल.एस.
जॉब आरिएन्टेशन	2428	2081	20	2057(85)	1426(69)	10 (50)	371(15)	655(31)	10(50)
रिफ़ेसर	2428	2081	20	804(33)	343(14)	00(00)	1624(67)	1738(86)	20(100)

स्रोत: डी. एस. डब्ल्यू. ओ. पलामू (कोष्टक की संख्या प्रतिशत दर्शाती है)

आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं पर्यवेक्षिका के प्रशिक्षण में कमी आई.सी.डी.एस. के विभिन्न घटकों की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सभी अप्रशिक्षित सेविका, सहायिका और पर्यवेक्षिका के प्रशिक्षण हेतु कारवाई की जायेगी।

3.1.11.5 रोकड़ में पायी गई कमी

झारखण्ड कोषागार संहिता खंड-I के नियम 86(II) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है ताकि रोकड़ बही में दर्शाये गये रोकड़ शेष को भौतिक शेष के साथ मिलान सुनिश्चित किया जा सके।

₹ 2.48 लाख की कमी की वसूली पूर्व नाजिर से की जानी थी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2012 को रोकड़ बही में अंतशेष ₹ 6,93,23,558 था जबकि अग्रिम पंजी, अभिप्रव पंजी एवं बैंक पास बुक/विवरणी के आधार वास्तविक शेष 31 मार्च 2012 को ₹ 6,06,84,887 पर पाया गया। इस प्रकार ₹ 86,38,671 की अंतर राशि सरकारी धन के गबन की ओर इंगित करता था जो कि डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा लेखों का बैंक विवरणी के साथ मिलान नहीं किए जाने के कारण संभव हुआ।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने लेखों के मिलान करने के उपरान्त ₹ 2.48 लाख की कमी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) जो भूतपूर्व नाजिर से वसूलनीय था।

समापन बैठक के दौरान डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि भूतपूर्व नाजिर से राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण विकास

3.1.12 सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (स.ग्रा.स्व.यो.) का लक्ष्य है कि परिवारों में (स्वरोजगारी) सतत आय की वृद्धि करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों को सामाजिक जुटाव, प्रशिक्षण एवं सामर्थ्यावान करने के साथ आय वृद्धि हेतु संपत्ति का अर्जन करने की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए। स्व.स.स. कि आय वृद्धि हेतु सम्पत्ति अर्जित करने के लिए जिला के प्रमुख बैंकों के माध्यम से ऋण एवं आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाए। सम्पूर्ण योजना का कार्यन्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाना था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका (अक्टूबर 2009) के अनुसार जिला के प्रमुख बैंक द्वारा चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण

संस्थान (ग्रा.स्वा.प्र.सं.) की स्थापना की जानी थी। वर्ष 2008-12 की अवधि के दौरान जि.ग्रा.वि.आ., पलामू के पास ₹ 28.06 करोड़ की निधि उपलब्ध थी जिसमें से ₹ 16.56 करोड़ व्यय किया गया था, मार्च 2012 तक ₹ 11.50 करोड़ अव्ययित था।

जि.ग्रा.वि.आ., पलामू के अभिलेखों की लेखा जाँच (जून 2012) में पाया गया कि वर्ष 2009-12 की अवधि के दौरान 1631 स्वा.स.स. गठित की गई थी (2009-10 के दौरान 430, 2010-11 के दौरान 730 एवं 2011-12 के दौरान 471)

स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण बैंक के वित्तीय सुविधा से वंचित होना पड़ा

- स्वा.स.स. के स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के अधीन मार्च 2010 में ग्रा.स्वा.प्र.सं. की सृष्टि की गई थी। हमने यह पाया कि ग्रा.स्वा.प्र.सं. की सृष्टि के उपरांत भवन की अनुपलब्धता के कारण 861 स्वा.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। फलस्वरूप, प्रमुख बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने से अस्वीकार किया गया था। मार्च 2012 में भवन की व्यवस्था की गई एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख बैंक को ₹ 4.44 लाख (मार्च 2012) का भुगतान किया गया इस प्रकार 2010-12 के दौरान 861 स्वरोजगारियों को निर्दिष्ट लाभ से वंचित होना पड़ा।

इस संबंध में कहे जाने पर, निदेशक लेखा, जि.ग्रा.बी.अ., पलामू ने माना कि (जुलाई 2012) मार्च 2010 से मार्च 2012 के दौरान स्वा.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

- इसके अलावे, कार्यपालक अभियंता, लधुसिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर को आठ प्रखण्डों¹⁷ में बहुउद्देशीय सदभावना भवन जहाँ स्वा.स.सं. का प्रशिक्षण केंद्र एवं बैठके करना, कृषि उत्पादों का प्रदर्शनी एवं बिक्री स्थल का कार्य किया जायगा, के निर्माण हेतु ₹ 16 लाख प्रति भवन की प्राकृतिक लागत पर ₹ 1.48 करोड़ अग्रिम (अप्रैल 2008) दिया गया था। इन भवनों को जुलाई 2008 तक पूर्ण करना था जो जून 2012 तक पूर्ण नहीं किया गया था, जबकि जुलाई 2011 तक ₹ 67.29 लाख का व्यय हो चुका था।

उप विकास आयुक्त पलामू द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) की भवन पूर्ण हो गये हैं एवं कार्यपालक अभियंता के साथ भवनों के हस्तान्तरण के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

¹⁷ चैनपुर, छतरपुर, हरिहरगंज, लेसलीगंज, मनातु, मेदिनीनगर, सतबरवा एवं विश्रामपुर।

इस प्रकार ₹ 1.48 करोड़ व्यय होने के बावजूद सदभावना भवन निर्माण के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी।

3.1.13 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जि.ग्रा.वि.अ. के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कार्यान्वित होगा। इस योजना के अधीन, पलामू के लाभुकों को स्वयं गृह निर्माण हेतु ₹ 48,500 प्रति ईकाई की दर से दो किस्तों में भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह पाया गया कि, जि.ग्रा.वि.अ., पलामू के पास इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹ 92.26 करोड़, 2009-12 की अवधि के दौरान उपलब्ध था, जिनमें से ₹ 74.08 करोड़ इस योजना में व्यय किया गया था।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 2009-12 के दौरान 25,136 गृह¹⁸ निर्माण के लिए लिया गया था। जिनमें से कथित अवधि जून 2012 तक 20,356 गृह (81 प्रतिशत) पूर्ण हो गया था एवं 4,780 गृह (19 प्रतिशत) अपूर्ण था, इन गृहों को स्वीकृत तिथि से तीन माह के अंदर पूर्ण करना था। वर्ष 2009-12 के दौरान विभिन्न श्रेणी के अधीन निर्माणों (नई निर्माण, उच्च कोटि आदि) की भौतिक स्थिति को **परिशिष्ट-3.7** में दिखाया गया है। हमने यह पाया कि वर्ष 2011-12 के अंत तक 33 प्रतिशत गृह नये निर्माण के लिए लिये गये थे। यद्यपि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इं.आ.यो. के अधीन गृहों का निर्माण/उन्नयन¹⁹ कार्य का अनुपालन संतोषप्रद दिखाई दिया।

समापन बैठक के दौरान, लेखानिदेशक, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए त्वरित कारवाई की जाएगी।

3.1.14 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा

वर्ष 2009-11 की अवधि के दौरान पलामू जिले को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। सूखा के डर के प्रतिकूलता के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया (अगस्त 2009 एवं अगस्त 2010) की बी.पी.एल. लोगों को

¹⁸ 2009-10 से पूर्व के अनिर्मित गृह 4070 एवं 2009-10 के दौरान स्वीकृत 21066 गृह।

¹⁹ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अधीन 7533 गृहों को लिया गया था। समान्य श्रेणी 7176 (95 प्रतिशत) गृह पूर्ण हो गये थे जब कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अधीन थे-2009-12 के दौरान उच्च कोटि के 4406 गृहों में से 4252 (97 प्रतिशत) पूर्ण हो गये थे।

निर्माण के लिए लिये गये गृहों में 33 से 79 प्रतिशत अधूरे पड़े थे

अतिरिक्त अनाज की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा का संवर्धन के लिए मनरेगा। इसमें 1.27²⁰ लाख गृहस्थों को चालू योजनाओं जैसे अन्तोदय अन्न योजना (अ.अ.यो.), लक्षित जनवितरण प्रणाली (ल.ज.वि.प्र.) एवं अन्नपूर्णा इत्यादि के माध्यम से रोजगार दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, 1.43 लाख बी.पी.एल. के अतिरिक्त बी.पी.एल. के गृहस्थों का पहचान किया गया था परंतु जिन्हें उपरोक्त योजनाओं के अधीन शामिल नहीं किया गया था, को भी लेने का (नवम्बर 2010) निर्णय लिया गया था। संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों/विपणन पदाधिकारियों के समग्र पर्यवेक्षण के तहत लाभार्थियों के बीच वितरित आवंटन के अनुसार उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) में खाद्यान्न एसएफसी द्वारा निर्गत किए जाते हैं। जिला में लाभार्थियों के बीच एफपीएस के माध्यम से उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिम्मेदार था। विपणन पदाधिकारी (वि.पदा.) एफपीएस द्वारा उठाये गए रिपोर्ट को संकलित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समेकित करता है। इस तरह, एसएफसी द्वारा जारी किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा विपणन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी की रिपोर्ट से मिलना चाहिए।

योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:

- एसएफसी के अनाज प्रतिवेदन एवं जि.आ.पदा. द्वारा उठाये गये चावलों के समेकित प्रतिवेदनों की जाँच में पाए गए कि एसएफसी द्वारा निर्गत परिमाण एवं उच्च मूल्य दुकान द्वारा प्राप्ति के माध्यम पाई गई विसंगतियों को **परिशिष्ट-3.8** में दिया गया है। 2009-12 अवधि के दौरान एसएफसी द्वारा उचित मूल्य दुकान को चावल का कुल परिमाण 14,13,426.46 क्विंटल निर्गत किये गए थे (गोदाम के अनाज प्रतिवेदन के अनुसार) जब कि उचित मूल्य की दुकानों में 12,12,778.46 क्विंटल की प्राप्ति दिखाया गया था (बि.प. द्वारा प्रतिवेदित जि.आ.प. द्वारा समेकित प्रतिवेदन के अनुसार)। इस प्रकार, अन्नपूर्णा, बी.पी.एल., अ.अ.यो. एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजनाओं के अधीन ₹ 41.89²¹ करोड़ मूल्य के 2,00,648 क्विंटल उचित मूल्य दुकान में कम प्राप्ति दिखाई गई थी। जि.आ.प. द्वारा विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था।
- इसके समरूप, 2009-11 के दौरान एसएफसी द्वारा उचित मूल्य दुकान को निर्गत गेहूँ की कुल परिमाण 2,05,788.14 क्विंटल था जबकि

एसएफसी द्वारा जारी किये गये खाद्यान्न की मात्रा से एफपीएस नेटवर्क द्वारा रसीद में कम दिखाये गए

²⁰ बी.पी.एल. (0.64 लाख गृहस्थ), अ0अ0यो0 (0.50 लाख गृहस्थ) एवं अन्नपूर्णा (0.13लाख लाभुक)।

²¹ किफायती मूल्य के अनुसार ₹ 2,088 प्रति क्विंटल।

बी.पी.एल. एवं अ.अ.यो. के अधीन 1,85,674.87 क्विंटल उचित मूल्य दुकान में प्राप्ति दिखाया गया था। जि.आ.प. द्वारा 20,113.27 क्विंटल गेहूँ (₹ 3.07 करोड़ मूल्य²²) के विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था।

समापन बैठक के दौरान जि.आ.प. के द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि समाधान किया जाएगा।

3.1.15 शहरी विकास

शहरी विकास विभाग का समग्र उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को नगरिय सुख-सुविधायों की व्यवस्था की जाय। शहरी नागरिकों को सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विभाग विभिन्न तरह के कार्यक्रम करता है। जिला स्तर पर, नगर परिषद (नगरपालिका परिषद) द्वारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। नगर परिषद द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की विवेचना निम्नांकित है:

3.1.15.1 समेकित गृह एवं बस्ती विकास कार्यक्रम (स.गृ.ब.वि.का.) के कार्यान्वयन में बिलम्ब

स.गृ.ब.वि.का. एक केंद्र प्रायोजित योजना जो जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अधीन लाभुकों द्वारा स्वयं गृह निर्माण एवं बस्ती क्षेत्र के निवासी को आधारभूत सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका परिषद, पलामू द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नगरपालिका परिषद को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) तैयार करने की जिम्मेवारी है। बस्ती निवासियों की पहचान करना वि.प.प्र. का एक घटक था। वि.प.प्र. के आधार पर चयनित लाभुकों को तीन किस्तों में ₹ 1.81 लाख प्रतिनिवास इकाई वितरित किया जाना था। इन गृहों को 18 महीने में पूर्ण करना था। इस योजना कि अवधि मार्च 2012 तक था।

हम लोगों ने यह पाया कि वि.प.प्र. में 969 लाभुकों का चयन (सितम्बर 2008) किया गया था एवं इनके नाम सितम्बर 2008 में विभाग को अग्रसारित किया गया था। विभाग द्वारा ₹ 11.36 करोड़ (फरवरी 2010 एवं मई 2012 के मध्य) विमुक्त किया गया था। हमने यह भी पाया कि केवल 420 लाभुकों का चयन किया गया था, चूंकि इनके पास निवासी इकाई निर्माण के लिए भूमि थी। योजना के अनुसार शेष 549 लाभुक, भूमि का मालिकाना प्रमाण नहीं दिखा सके।

²² किफायती मूल्य के अनुसार ₹ 1,526 प्रति क्विंटल।

2010-11 के दौरान 420 निवासी इकाई निर्माण के लिए लिया गया था जिसके लिए लाभुको को ₹ 4.42 करोड़ वितरित किया गया था। यद्यपि, नगरपालिका परिषद के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, दिसम्बर 2012 तक सभी 420 निवासी इकाई अपूर्ण थे।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि योजना को पूर्ण करने को लिये त्वरित कारवाई की जायगी। उत्तर उपयुक्त नहीं था क्योंकि कार्यों को समय पर पूर्ण करने का उत्तरदायित्व नगरपालिका परिषद का था।

इस प्रकार, ₹ 4.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था, इसके अलावे वि.प.प्र. तैयारी के प्रक्रम में लाभुकों के दोषपूर्ण चयन के कारण नगरपालिका परिषद के पास ₹ 6.94 करोड़ अवरुद्ध पड़ हुए थे।

3.1.15.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत जमीन भराव निर्माण के लिए निधि का अनुपयोगी रहना

नगरपालिका परिषद क्षेत्र, मेदिनीनगर के ठोस अपशिष्ट के निपटान के उद्देश्य से, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा (सितम्बर 2006) मेदिनीनगर में भूमि भराव निर्माण के लिए शहर के समीप ₹ 4.50 करोड़ के प्रकलित राशि पर 30 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए विभाग को अनुरोध किया गया था। तदनुसार, 10 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए ₹ 1.50 करोड़ विमुक्त किया गया था (अक्टूबर 2006)। भूमि का प्रबंध करने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा उपायुक्त को (अप्रैल 2008) अनुरोध किया गया था। यद्यपि, दिसम्बर 2012 तक जिला प्रशासन द्वारा भूमि भराव के उद्देश्य से भूमि का चयन नहीं हो पाने के कारण नगरपालिका परिषद, मेदिनीनगर को भूमि का प्रबंध नहीं किया गया था। अक्टूबर 2006 से अब तक नगरपालिका परिषद के व्यक्तिगत लेजर लेखे में राशि रखा हुआ था।

इस प्रकार, भूमि की अनुपलब्धता के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना दिसम्बर 2012 तक कार्यान्वित नहीं हो सका था एवं योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

समापन बैठक के दौरान, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि त्वरित कारवाई की जाएगी।

3.1.16 पेयजल और स्वच्छता

भारत सरकार ने 1972 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू की जिसका नाम राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1991-92) का नाम दिया गया था। यह सभी ग्रामीण बस्तियों के लिए हर 250 व्यक्तियों के लिए एक

मेदिनीनगर में प्रस्तावित जमीन भराव निर्माण नहीं होने के कारण व्यक्तिगत लेजर खाते में अक्टूबर 2006 से निधि पड़ी हुई थी

पीने के पानी के स्रोत की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पीने के पानी की निर्धारित मात्रा (40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। पलामू जिला में ग्रामीण बस्तियों में (संख्या 6,806) ग्रामीण आबादी (17.10 लाख) जो पहले से ही 18,319 नलकूपों (मार्च 2012) के माध्यम से पेयजल प्रदान की जा रही थी।

इसके आलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल सम्पूर्ण आबादी को स्थायी रूप से प्रदान किया जाना था जो कि ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना (आर.पी. डब्ल्यू. एस. एस.) की स्थापना के माध्यम से संभव किया जाना था। पलामू जिले में, कुल 353 आर.पी.डब्ल्यू एस.एस. योजना स्वीकृति किया गया जिसमें केवल 153 योजनाओं को 2009-12 की अवधि के दौरान पूरा किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाई गई प्रमुख निष्कर्ष की नीचे चर्चा की जा रही है।

पाइप जल आपूर्ति योजनाएं

25,000 निवासियों के आबादी के लिए, विश्रामपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना²³ कार्यपालक अभियन्ता, डी.डब्ल्यू. एण्ड एस. प्रमण्डल, पलामू के द्वारा फरवरी 2008 में एक ठेकेदार को ₹ 7.54 करोड़ की सहमति से दिया गया जिसे फरवरी 2009 तक पूरे किये जाने थे। यद्यपि कार्य को विवाद मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण रद्द (दिसम्बर 2008) कर दिया गया था। यह कार्य भूमि विवाद को हल किये बिना दूसरे ठेकेदार को ₹ 9.70 करोड़ की लागत पर जुलाई 2011 तक पूर्ण करने हेतु दिया गया (जनवरी 2010)। परिणामस्वरूप, दिसम्बर 2012 तक ₹ 6.90 करोड़ मूल्य की पाइप खरीद को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं किया गया। कार्यपालक अभियन्ता (का.अ.) द्वारा पाइप की लागत ₹ 6.90 करोड़ ठेकेदार को भूगतान (फरवरी 2012) तक कर दिया गया। इस वजह से विभाग द्वारा बाधाओं को बिना हल किये ₹ 6.90 करोड़ के व्यय के रूप में नवम्बर 2012 तक अधूरे कार्य पर निष्फल व्यय बने रहे फलस्वरूप पानी की आपूर्ति के लाभ से विश्रामपुर के निवासी वंचित रहे।

50,000 लोगों की आबादी के लिए बारालोटा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना निविदा के बाद लिया गया था जिसे एक ठेकेदार को सहमति लागत ₹ 16.38 करोड़ पर आवंटित किया गया (अक्टूबर 2009) जिसे जनवरी 2011 तक पूरा किया जाना था।

अधूरी पाइप जल
आपूर्ति योजना पर
कुल ₹ 19.17
करोड़ का निष्फल
व्यय

²³ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइप की खरीद एवं विछाव, मिट्टी कार्य इत्यादि।

हमने पाया कि कोई भी काम (दिसम्बर 2012) नहीं किया गया सिवाय ₹ 12.27 करोड़ मूल्य की पाईप की खरीद के जिसका भुगतान कार्यपालक अभियंता द्वारा फरवरी 2012 में भुगतान कर दिया गया। यह देखा गया कि, हार्ड रॉक निर्माण स्थल पर पाये जाने के कारण ठेकेदार द्वारा काम शुरू नहीं किया गया और ब्लास्ट करने के लिए अनुमति की मांग (मई 2010) में की गई जिसे पलामू डी.सी. द्वारा मार्च 2012 में अनुमति दी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 12.27 करोड़ का निष्फल व्यय के अलावे बारालोटा के निवासियों को लाभ से वंचित रखा गया।

समापन बैठक के दौरान (दिसम्बर 2012) कार्यपालक अभियंता ने कहा कि दोनों कार्य को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

3.1.16.1 फ्लोराइड मिटिगेसन योजनाओं का कार्यान्वयन

वर्ष 2005-06 में, डी. डब्लू एण्ड एस. प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत भूमिगत जल में फ्लोराइड प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर विभाग 1,679 फ्लोराइड रिमुभल एटैचमेन्ट युनिट ₹ 7.26 करोड़ की लागत से वर्ष 2008-09 के दौरान पहले से ही गाड़े गए नलकूपों के लिए मंजूरी दी। यह कार्य कलकत्ता आधारित आपूर्तिकर्ता को (जून 2008) दिया गया जिसे कार्य आदेश की तारीख से तीन महीने में चालू करना था। एगीमेन्ट के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को दो साल तक इन यूनिटों का सफल रख-रखाव किया जाना था जिसके विरुद्ध प्रमण्डल द्वारा कुल लागत का दस प्रतिशत रखा जाना था एवं सफल रख-रखाव के उपरान्त वापस करना था। हम लोगों ने देखा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा काम नवम्बर 2008 एवं अगस्त 2009 के बीच कार्य सम्पन्न किया गया एवं ₹ 7.01 करोड़ बिना दस प्रतिशत रख-रखाव की गारंटी को रोके भुगतान कर दिया गया। यद्यपि आपूर्तिकर्ता फ्लोराइड रिमुभल एटैचमेन्ट यूनिटों को समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं बनाए रखा था। फलस्वरूप, सभी स्थापित इकाइयाँ मई 2011 एवं मई 2012 के दौरान अकार्यशील हो गया एवं ₹ 7.01 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हुआ।

समापन बैठक के दौरान कार्यपालक अभियन्ता, डी.डब्लू. एण्ड एस. (दिसम्बर 2012) ने कहा कि इस मामले की अच्छी तरह से जाँच की जाएगी।

आर्थिक क्षेत्र

3.1.17 राज्य पथ

जिला सड़क संचार पर अधिक निर्भर है चूँकि यहाँ केवल 29 रेल हेड दो प्रखण्ड एवं एक शहर से गुजरती है। राज्य सड़कें दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के समस्त विकास के लिए जिला मुख्यालय के करीब लाता है।

सड़क निर्माण विभाग (आर.सी.डी.) प्रशासनिक विभाग है जो नई सड़कें, मौजूदा सड़कों की सुधार एवं चौड़ी करण, रख रखाव एवं निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्लू.डी.) ग्रामीण कार्य प्रमण्डलों के द्वारा ग्रामीण कालीकृत सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। जिले में दिसम्बर 2012 तक 241.14 कि.मी.राज्यमार्ग, 124 कि.मी. राष्ट्रीय मार्ग एवं 550.135 कि.मी. ग्रामीण कालीकृत सड़कें थे। 16 राज्य सड़कों²⁴ में से छः²⁵ सड़कें (111.99 कि. मी.) को 2009-12 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु लिया गया था, जिसमें से दो²⁶ सड़कें (68.375 कि.मी.) पूर्ण थे, तीन²⁷ सड़कें (39.54 कि.मी.) प्रगति में थे एवं एक सड़क (4.075 कि.मी.) निविदा के अंतिम चरण में थे।

यद्यपि सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य लिये गये थे। लेकिन 2009-12 के दौरान जिलों में राज्य पथों की लम्बाई अपरिवर्तित रहे।

3.1.17.1 कार्यों की अपूर्णता

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता²⁸ (जे.पी.डब्लू.ए.) के अनुसार किसी कार्य का प्राकलन बनाने के पूर्व किसी भी परियोजना हेतु फोरेस्ट भूमि की मंजूरी निश्चित किया जाना चाहिए। आगे, इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) के अनुसार, यातायात की आवागमन की मंजूरी के पहले पूर्ण रूप से वाटर बाउन्ड मेकाडम (डब्लू.बी.एम.) के ऊपर कालीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- विश्रामपुर महुआगाँव इटको रोड (18.90 कि.मी.) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु जून 2009 में सहमति राशि ₹ 10.23 करोड़ पर लिया गया था जिसे जुलाई 2010 (जून 2012 तक विस्तारित) तक पूर्ण किया

²⁴ एकल: छः (71.70 कि.मी.), मध्यवर्त्ता लेन (124.27 कि.मी.) दोहरा लेन एक (45.17 कि.मी.)

²⁵ छत्तरपुर-डुमरिया, मेदिनीनगर-लेस्लीगंज-पँकीपथ, विश्रामपुर-महुआगाँव-इटको पथ, मेदिनीनगर-चैनपुर पथ, मेदिनीनगर-हरिहरगंज पथ एवं कजरी-पाटन-मनातू पथ।

²⁶ मेदिनीनगर-लेस्लीगंज-पाकी पथ एवं छत्तरपुर-डुमरिया पथ

²⁷ विश्रामपुर-महुआगाँव-इटको पथ, मेदिनीनगर-चैनपुर पथ, मेदिनीनगर-हरिहरगंज पथ एवं कजरी-पाटन-मनातू पथ।

²⁸ एनेक्जर-ए-कैबिनेट एवं कोओरडिनेशन विभाग (निगरानी सेल) रिजोलुसन संख्या-948 दिनांक 16 जुलाई 1986-पैरा-4.5 एवं 6.3

अपूर्ण कार्यों पर
₹ 6.03 करोड़ की
निष्फल व्यय

जाना था। कार्य के मद में डब्लू.बी.एम. एवं कालीकरण कार्य निहित थे। मजबूतीकरण के काम के लिए फारेस्ट क्लियरेंस (मई 2008) सशर्त दिया गया था कि कोई पेड़ की कटाई न हो एवं कोई भी सड़कों का चौड़ीकरण न किया जाय।

हमने पाया कि ठेकेदार फरवरी 2012 तक केवल डब्लू.बी.एम. स्तर तक ही कार्य निष्पादित किया था एवं ₹ 6.03 करोड़ का भुगतान (मई 2012) इस मद में किया गया। इसके बाद, वन विभाग के शर्तों के उल्लंघन के कारण वन विभाग द्वारा कार्य बन्द करवा दिया गया था। फलस्वरूप कालीकरण कार्य ठेकेदार द्वारा (मई 2012) नहीं किया गया। आई.आर.सी के पारा 4.8.2 में निहित प्रावधान के अनुसार बिना कालीकरण कार्य के यातायात आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार पूरे डब्लू.बी.एम. कार्य लागत ₹ 6.03 करोड़ निष्फल हुआ।

समापन बैठक (दिसम्बर 2012) में का.अ. ने कहा कि भविष्य में इस तरह के कार्य में पूर्व में ही फारेस्ट क्लियरेंस लिया जायगा ।

3.1.18 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़क की स्थिति

निर्माण, उन्नयन और जिले में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव प्रधान मंत्री सड़क योजना और राज्य योजना दोनों के तहत लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007) के अंत तक 500 से अधिक आवादी के साथ सभी ग्रामीण वस्तियों को सभी मौसम सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए दिसम्बर 2000 में किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के साथ बस्तियाँ कनेक्टिविटी के लिए पात्र थे। गाँवों से गुजरती सड़के को एक ठोस पेभमेन्ट, डस्टप्रूफ एवं कम रखरखाव वाले सड़क उपलब्ध कराए जाने थे।

3.1.18.1 योजना

योजना प्रायोजनार्थ 2001-2002 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके आधार पर एक जिला कोर नेटवर्क पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के चयन के लिए तैयार किया गया था।

सर्वेक्षण के अनुसार जिला के ग्रामीण निवासों का करीब 53 प्रतिशत (1,754 में से 924) सभी मौसम सड़कों से असंबद्ध पाया गया। तदनुसार, पीएमजी-एसवाई के अन्तर्गत सभी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को संबद्धता प्रदान करने के लिए सड़कों का संशोधित कोर नेटवर्क एवं नयी संबद्धता प्राथमिकता सूची

का कोर नेटवर्क (सी.एन. सी.पी.एल.) तैयार किया गया था (2005)। सी.एन.सी.पी.एल. में 221 सड़के 912.15 कि. मी. लम्बाई में सम्मिलित थे। जिसे प्राथमिकता के आधार²⁹ पर 518 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने थे। 518 ग्रामीण बस्तियों में से, 222 ग्रामीण बस्तियों को 2008-09 तक (VI चरण) तक जोड़ दिया गया था।

296 असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों में से 269 ग्रामीण बस्तियों को 125 सड़के (440 कि. मी.) सी.एन.सी.पी.एल. में से 2009-12 (VII चरण) के दौरान स्वीकृत किया गया।

दिसम्बर 2012 तक इन सड़कों (125) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति **परिशिष्ट-3.9** में दिया गया है।

हमने पाया कि 125 सड़कों में से 39 सड़के (31 प्रतिशत) दिसम्बर 2012 तक पूर्ण कर दिये गये थे एवं 86 सड़के ₹ 42.60 करोड़ का व्यय उपरान्त अधूरे रह गये। ई.ई. ने (अगस्त 2012) में कहा कि ठेकेदार द्वारा प्रगति में देरी, नक्सल समस्याएँ, कोलतार के अभाव एवं फारेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही। अतः लक्षित 181 ग्रामीण बस्तियों सभी मौसम सड़कें से असंबद्ध रह गये।

लक्षित 181 ग्रामीण
बस्तियों असंबद्ध रहे।

3.1.18.2 गुणवत्ता नियंत्रण

पी.एम.जी.एस.वाई के तहत, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सभी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेवार हैं। परीक्षण करने के लिए योग्य कर्मचारियों के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में किये जाने हैं। ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए एक गुण नियंत्रण पुस्तिका संसाधारण किया जाना जरूरी है। राज्य गुणवत्ता मोनीटर (एस.क्यू.एम.) को कमसे कम दो बार सड़कों की निरीक्षण करना चाहिए। पहला निरीक्षण कार्य के दौरान एवं अन्तिम निरीक्षण कार्य के पूरा होने के एक महीने के भीतर एस.क्यू.एम. के द्वारा किया जाना चाहिए।

सभी इंगित कार्य “असंतोषजनक” या पुनरुद्धार हेतु आवश्यक” को राज्य गुणवत्ता कोऑर्डिनेटर द्वारा प्राप्त सुधारात्मक रिपोर्ट को नेशनल गुणवत्ता मोनीटर (एन.क्यू.एम.) या एस.क्यू.एम. द्वारा पूनः निरीक्षण करना आवश्यक है।

²⁹ प्रथम प्राथमिकता 1000+ ग्रामीण बस्तियाँ: द्वितीय प्राथमिकता:500+ ग्रामीण बस्तियाँ एवं सबसे कम प्राथमिकता: 250+ ग्रामीण बस्तियाँ।

एस.क्यू.एम. द्वारा मार्च 2012 तक 82 सड़कों का निरीक्षण किया गया जिसमें छः सड़कों को 'पुनरुद्धार हेतु आवश्यक' बताया गया।

एस.क्यू.एम. के निरीक्षण रिपोर्ट की जाँच से पता चला कि 2009-12 के अवधि दौरान 20 पूर्ण सड़कों में से 15 सड़कें का निरीक्षण एस.क्यू.एम. द्वारा दो बार एवं पाँच सड़कों का केवल एक बार किया गया। मार्च 2012 तक एस.क्यू.एम. द्वारा 82 निरीक्षित सड़कों में से छः सड़कें "सुधार की आवश्यकता" इंगित किया गया। इन सड़कों पर की गई कारवाई का कोई अभिलेख नहीं था। अतः इन सड़कों की गुणवत्ता का द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण मोनीटर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया यथा एस.क्यू.एम. एवं एन. क्यू. एम/गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका भी पी.आई.यू. द्वारा नहीं संधारित किया गया। इस प्रकार पी.आई.यू. ने गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण ठेकेदार के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया एवं एस.क्यू.एम. द्वारा गुणवत्ता परीक्षण भी अपर्याप्त थी। अतः निम्न गुणवत्ता सड़कों के निर्माण से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (जून 2012) लेखापरीक्षा मार्ग दर्शन को भविष्य के लिए अवलोकन हेतु इंगित किया ।

3.1.18.3 पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का असंधारण

पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देश अनुच्छेद 17.2 के अनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के संधारण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। अतिरिक्त, अनुबंध के संधारण अनुच्छेद में सड़कों की पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक का दोषदायित्व अवधि समाविष्ट था। इस अवधि के दौरान, संवेदक द्वारा हर महीने सड़कों का निरीक्षण अपेक्षित था और सामान्य संधारण एवं आवश्यक सुधारों द्वारा सड़क को यातायात के लायक प्रशस्त रखना था। पी.आई.यू. द्वारा भी प्रत्येक माह सड़कों का निरीक्षण आवश्यक था।

2007-12 के दौरान 31 पूर्ण रोड़ (123.77 किमी) का मरम्मत नहीं किया गया

प्रोग्राम कार्यान्वयन यूनिट (पी.आई.यू.) पलामू के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ की 31 सड़कें (123.77 कि.मी.) ₹ 27.86 करोड़ की लागत से 2007-12 में पूर्ण किये गये। ठेकेदार द्वारा इन सड़कों का संधारण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा पर झारखण्ड ग्रामीण राज्य विकास अभिकरण (जे.आर.एस.आर.डी.ए.) सितम्बर 2012 में कहा कि पी.आई.यू. द्वारा न तो रख-रखाव का बिल प्रस्तुत किया न ही धन की मांग की गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (10 जून 2012) के दौरान हमने पाया कि एक सड़क बुधीवीर से चोह्रासा (5.10 कि. मी.) पूर्ण स्ट्रेच पर पौट हौल पूरे खंड पर थे एवं पी.सी.सी. सतह भी टूटे एवं क्षतिग्रस्त थे। (छायाचित्र नीचे),

हाँलाकि संधारण का अनुबंध भी मई 2008 में किया गया। यह भी पाया गया कि एस.क्यू.एम. दल भी इस सड़क का निरीक्षण कार्य के दौरान किया था लेकिन इसे समाप्ति के बाद निरीक्षण नहीं किया। यद्यपि, संधारण अनुबंध ठेकेदार के साथ था। संधारण न तो ठेकेदार द्वारा किया गया न ही का.अ. ने ठेकेदार को संधारण हेतु अनुदेशित किया। इस प्रकार पी.एम.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण वस्तियों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।



(बुद्धिवीर से चोह्रासा तक बिटुमिनस सड़क की जर्जर स्थिति को प्रदर्शित करती छायाचित्र)



(बुद्धिवीर से चोह्रासा तक पीसीसी सड़क की जर्जर स्थिति को प्रदर्शित करती छायाचित्र)

कार्यपालक अभियंता ने (जून 2012) कहा कि अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जायगी।

3.1.19 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.भी.वाई)

सभी ग्रामीण गृहस्थों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा 2009 तक वैद्युतिक आधारभूत संरचना के संवर्धन के उद्देश्य के साथ भारत सरकार (जी.ओ.आई) ने मार्च 2005 में आर.जी.जी.भी.वाई. की शुरुआत की।

पलामू जिला में योजना को झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.इ.बी.) लागू कर रहा था। आर.जी.जी.भी.वाई. के निरीक्षण हेतु जे.एस.इ.बी. ने टेलीकम्युनिकेशन कनसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टि.सी.आई.एल) को तृतीय पक्ष निरीक्षण अधिकरण के रूप में नियुक्त किया। जिला स्तर पर विद्युत अधीक्षण अभियन्ता (वि.अ.अ.) योजना के तहत कार्यों के क्रियान्वयण हेतु नोडल अधिकारी था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) योजना के वित्तपोषण तथा क्रियान्वयण के लिए नोडल अभिकरण था।

आर.जी.जी.भी.वाई. के तहत दिसम्बर 2006 से जून 2008 के दौरान पलामू जिले के 1,457 गाँवों को ₹ 185.33 करोड़ के लागत से विद्युतीकरण नियोजित था। पलामू जिला में विद्युतीकरण (पैकेज जी) का कार्य हैदराबाद अवस्थित एक संवेदक को टर्नकी आधार पर दिसम्बर 2006 में दिया गया था। कार्य की लागत को पुनरिक्षित करते हुए ₹ 214 करोड़ करने का एक प्रस्ताव किया गया (अगस्त 2009) परन्तु ग्रा.वि.नि. ने अनुमोदित नहीं

1,457 गाँवों में से मात्र
668 गाँव विद्युतीकृत
हुए।

किया। योजना के अन्तर्गत 1,15,068 निर्धनता रेखा के अधीन (बी.पी.एल.) गृहस्थों को एकल बिन्दु विधुत कनेक्शन दिया जाना था। झारखण्ड सरकार तथा जे.एस.इ.बी. दोनों को परियोजना पूर्ण होने तथा गाँवों को विद्युतिकृत घोषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना था कि ग्रामीण विद्युत वितरण स्तंभ³⁰ (गा.वि.वि.स.) की व्यवस्था, ग्रामीण वितरण के प्रबंध हेतु फ्रेचाइजी की नियुक्ति तथा 100 प्रतिशत पुंजीगत सहाय्य के साथ अविद्युतिकृत बी.पी.एल. गृहस्थों को विद्युतीकरण³¹ हो। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत निम्न बिन्दु उजागर हुए।

- जून 2008 तक जिले में 1457 गाँवों में निहित 1.15 लाख बी.पी.एल. गृहस्थों का विद्युतीकरण लक्षित था। जबकि मार्च 2012 तक 668 गाँवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो सका था तथा 789 गाँवों में कार्य प्रगति पर था। 668 विद्युतिकृत गाँवों में से मात्र 214 गाँवों को आवेशित किया जा सका था अर्थात् विद्युत उप-केन्द्रों (पी.एस.एस.) से जोड़ा गया था। हमने पाया कि चार पी.एस.एस. जो पूर्ण करने थे, में से तीन का निर्माण पूर्ण हो गया था। इन पूर्ण पी. एस. एस. में भी कमियाँ थी, जैसे कि नियंत्रण कक्ष तल निर्माण, स्ट्रिंगिंग कार्य, अर्थिंग तथा ग्रेवलिंग, ट्रेन्च कभर, वैद्युतिक कार्य, नहीं हुए थे, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा उनकी निरीक्षण में उजागर हुआ। अतः इन गाँवों के विद्युतीकरण में खर्च किये गए ₹ 57.75³² करोड़ अधिकांशतः अलाभकारी हो गया, क्योंकि 454 गाँव विधुत से वंचित रह गए।
- जे.एस.इ.बी. के द्वारा मात्र 415 आवेशित गाँवों को अधिग्रहित किया गया। परिणामतः जुलाई 2012 तक 668 गाँवों में 44,535 विद्युतीकृत बी.पी.एल. कनेक्शनों में से मात्र 17,056 बी.पी.एल. कनेक्शन का विपत्रीकरण हो पाया। इसका परिणाम हुआ कि ₹ 9.62³³ लाख प्रतिमाह

³⁰ गा. वि. वि. स्. का अर्थ विद्युत वितरण हेतु पर्याप्त क्षमता के उप-केन्द्रों तथा लाइनों का प्रावधान है।

³¹ एक गाँव तभी विद्युतीकृत घोषित किया जा सकता है, जब

- (i) मूल आधारभूत संरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफॉर्मर तथा वितरण लाइन दलित वस्तियों/छोटा गाँव सहित सभी बसाहटों में व्यवस्था।
- (ii) विधालयों, पंचायत, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि लोक स्थानों को विद्युत उपलब्ध कराना, तथा
- (iii) विधुतीकृत गृहस्थों की संख्या, गाँव के कुल गृहस्थों की संख्या का कम-से-कम 10 प्रतिशत हो।

³² एक गाँव के विद्युतीकरण की औसत लागत (कुल समझौता लागत ₹ 1853254319/1457 गाँव= ₹ 12,71,966) x अनावेशित गाँवों की संख्या (454)= ₹ 57,74,72,564

³³ टैरिफ के अनुसार दर (₹35)xअविपत्तिकृत कनेक्शनों की संख्या (27479)

की निरन्तर राजस्व हानि 27,479 संबंधों के विपत्रीकरण नहीं होने के कारण हुआ।

- पुनः 668 गाँवों में से 305 गाँवों को विद्युतीकृत घोषित करते हुए विद्युतीकरण प्रमाण पत्र निर्गत हुआ तथा शेष गाँवों में प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रियाधीन है। अतः 363 गाँवों का विद्युतीकरण विद्युतीकृत घोषित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण नहीं था क्योंकि प्रखण्ड विकास प्रदाधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुए थे।
- सदर प्रखण्ड के जमुनई गाँव में 63 के. वी.ए. का एक ट्रांसफॉर्मर दिसम्बर 2004 में जला हुआ बताया गया, जिसे प्रतिस्थापित करना था। ट्रांसफॉर्मर को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा जे.एस.इ.बी. ने उक्त गाँव को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में सम्मिलित कर लिया। एक 63 के.वी.ए. के ट्रांसफॉर्मर की लागत (₹ 36,727) का ध्यान में रखते हुए इस गाँव के विद्युतीकरण में खर्च हुए ₹12.35³⁴ लाख परिहार्य था।
- आर.जी.जी.भी.वाई. के अन्तर्गत विधुत कनेक्शन कुटिर ज्योति योजना (के.जे.पी.)³⁵ के मानकों के अनुरूप दिया जाना था। 44,535 विधुतीकृत बी.पी.एल. कनेक्शनों को मीटर लगाने में ₹3.86³⁶ करोड़ का खर्च निष्फल रहा। क्योंकि इन बी.पी.एल. कनेक्शन का मीटर पाठन नहीं लिया जा रहा था तथा उन्हें निर्धारित राशि से विपत्र दिया जा रहा था।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा गाँव को विद्युतीकृत घोषित करने के लिए निर्गत प्रमाणपत्रों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि किसी भी गाँव में लोक स्थानों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया था। 305 गाँवों में से 28 गाँवों में योजना की आवश्यकता के अनुरूप कुल गृहस्थों का न्यूनतम 10 प्रतिशत को विद्युतीकृत किये बिना, विद्युतकृत घोषित कर दिये गया। हमने यह पाया कि 39 गाँवों में विद्युतीकृत बी.पी.एल. गृहस्थों की संख्या गाँव के कुल विद्युतीकृत गृहस्थों की संख्या से अधिक दिखाई गई थी, जो आँकड़ों की विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न करता है।

³⁴ एक गाँव के विद्युतीकरण की औसत लागत (₹ 12.72 लाख)-63 के.वी.ए. के ट्रांसफॉर्मर की लागत (₹ 36727) = ₹12.35 लाख

³⁵ के.जे.पी. मानकों के अनुसार कनेक्शन 100 प्रतिशत पुंजीगत सहाय्य के साथ निशुल्क उपलब्ध कराना था। पलामू में के.जे.पी तथा आर.जी.जी.भी.वाई. के अन्तर्गत मीटर उपलब्ध कराने की लागत क्रमशः ₹ 750 तथा ₹ 1616 थी।

³⁶ मीटर को सम्मिलित करने के कारण लागत में वृद्धि (₹ 866) × कुल निर्गत कनेक्शनों की संख्या (44,535) = ₹ 3,85,67,310

समापन बैठक के दौरान वि.अ.अ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कारवाई की जाएगी।

सामान्य प्रक्षेत्र

3.1.20 कानून व्यवस्था

पलामू नक्सल प्रभावित जिला है। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक जो कि जिले की आंतरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हैं के प्रशासनिक अधिकार के अधीन 21 थाना एवं तीन पुलिस आउटपोस्ट कार्यरत थे। पुलिस को आधुनिक हथियार, वाहन एवम् आवासीय व्यवस्था मुहैया कराने हेतु एक केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना राज्य में लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजनाकरण, निधि की व्यवस्था, आधुनिक हथियारों, वाहनों इत्यादि का क्रय पूरे राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाना था।

इस योजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में पायी गई त्रुटियाँ आगे की कंडिकाओं में वर्णित है:

3.1.20.1 आधारभूत संरचनाएँ एवं सुरक्षा व्यवस्था

सभी आरक्षियों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु सभी थानों एवम् आउटपोस्ट में पर्याप्त आधारभूत संरचना और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना जरूरी है। यह पाया गया कि थानों और आउटपोस्ट के मूल आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थे। 21 में से पाँच थानों तथा तीन में से दो आउटपोस्ट के पास अपना भवन नहीं था। पाँच पुलिस थानों में बैरक की व्यवस्था नहीं थी और केवल हुसैनाबाद थाना में एक वाच टावर उपलब्ध था।

इस तरह से नक्सल प्रभावित जिला में पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण थाना/आउटपोस्ट को उग्रवादी हमलों का काफी जोखिम था।

3.1.20.2 पुलिसकर्मियों के आवासीय भवन

राष्ट्रीय पुलिस कमिशन (एन.पी.सी.) ने विशेषकर सभी उच्च और निम्न वर्गीय³⁷ सबऑर्डिनेट पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था की संस्तुति की है। परंतु पलामू जिला इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे था जैसा कि तालिका-9 में दर्शाया गया है:

³⁷ उच्च वर्गीय: सहायक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तथा निम्नवर्गीय: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल

तालिका-9: आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्ध आवासीय सुविधा

भवनों के प्रकार	कुल आवश्यकता	31 मार्च 2012 की स्थिति	कमी (प्रतिशत)
निम्न सबअर्डिनेट के लिए आवास	786	115	671(85))
उच्च सबअर्डिनेट के लिए आवास	369	82	287(78)
बैरक	65	38	27(42)
गैराज	218	24	194(89)

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, पलामू

इस तरह जिले में मूल आधारभूत संरचना की कमी 42 और 89 प्रतिशत के बीच था जिसके कारण पुलिसकर्मियों की कार्यदक्षता स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यभावी था।

3.1.20.3 पुलिसकर्मियों की गतिशीलता

जिले में पुलिस बल द्वारा अंतरिक सुरक्षा के लिए दक्षता पूर्वक काम करने एवं प्रतिक्रिया समय को कम करने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण में पुलिस की क्रियाशीलता को बढ़ाना एक मुख्य ध्येय था। वर्ष 2009-12 में जिला पुलिस बल के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों की स्थिति तालिका-12 में दी गयी है:

तालिका-10: जिला में विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपलब्धता की स्थिति

	हल्के वाहन	मध्यम प्रकार के वाहन	भारी वाहन	मोटर साइकिल	कुल
कुल आवश्यकता	178	91	24	306	599
उपलब्ध	101	37	13	106	257
कमी	77	54	11	200	342
प्रतिशत कमी	43	59	46	65	57

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, पलामू

जिले में वाहनों की कमी 57 प्रतिशत थी

इस प्रकार देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2012 को सभी प्रकार के वाहनों में 57 प्रतिशत की कमी थी। यह भी देखा गया कि 76 विशेष वाहनों³⁸ की आवश्यकता के विरुद्ध सिर्फ 15 वाहन ही उपलब्ध थे। इस प्रकार विशेष वाहन की श्रेणी में आवश्यकता के अनुरूप 80 प्रतिशत की कमी थी।

3.1.20.4 अस्त्र-शस्त्र

पुराने एवं प्रचलन से बाहर हथियारों को चरणबद्ध रूप से बदला नहीं गया

राज्य में सबसे पुराना नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पलामू जिले को पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एक मुख्य घटक के तौर पर पर्याप्त हथियार चाहिए था। पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) झारखण्ड ने बताया (मई 2007) की पुराने एवं प्रचलन से बाहर हो चुके हथियार यथा .303 एवं एसएलआर राईफल को नए शस्त्रों जैसे एके-47 एवं इंसास राईफल से चरणबद्ध रूप से निस्तारण का निर्णय लिया गया था।

³⁸ रोगी वाहन, मध्यम बारूदी सुरंग निरोधक वाहन, बुलेटप्रूफ वाहन।

प्रति पुलिसकर्मी के हिसाब से हथियारों का पैमाना एक-एक आधुनिक या मुख्य मारक हथियार³⁹ निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2012) कि 489 (7.52 एमएम एसएलआर) एवम् 453 (.303 रायफल) 31 मार्च 2012 तक जिला पुलिस के पास पड़े हुए थे। यह भी देखा गया कि 157 एसएलआर (489 के विरुद्ध) एवं 346 .303 रायफल (453 के विरुद्ध) जिला शस्त्रागार में अक्रिय पड़े हुए थे। जिला में मार्च 2012 को 2,070 स्वीकृत पुलिस बल के विरुद्ध कुल 2,194 हथियार⁴⁰ उपलब्ध थे। इसके अलावे 163 हथियार मार्च 2012 तक खराब पड़े थे। यही स्थिति दिसम्बर 2012 तक बनी हुई थी। छः वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय (मई 2007) के बावजूद पुराने हथियारों के नहीं बदले जाने से पुलिस बल की तैयारी में विपरीत असर पड़ सकता था।

3.1.20.5 सुरक्षा उपकरण

उग्रवादी विरोधी अभियान में पुलिस बल की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण यथा बुलेटप्रूफ (बीपी) जैकेट एवम् बीपी हेलमेट आवश्यक हैं। प्रत्येक मारक बल के लिए ऊपर वर्णित एक जोड़ी सुरक्षा उपकरण होना था। यह पाया गया कि 2,070 स्वीकृत मारक बल के विरुद्ध में केवल 482 बीपी जैकेट एवम् हेलमेट (23 प्रतिशत) उपलब्ध थे जिसमें से 19 बीपी जैकेट और छः बीपी हेलमेट, बारूदी सुरंग विस्फोट में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। सुरक्षा उपकरणों की कमी से मारक बल के जीवन को या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा उत्पन्न हो गया था।

3.1.20.6 चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाहन

पुलिस शोध एवं विकास व्यूरो ने प्रत्येक जिले को एक चलंत विधि-विज्ञान प्रयोगशाला वाहन देने का सुझाव दिया था। पुलिस मुख्यालय ने मार्च 2004 में पलामू जिला पुलिस को अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक चलंत विधि-विज्ञान प्रयोगशाला वाहन दिया था। इस वाहन से संबंधित लोग बुक जनवरी 2012 के बाद की अवधि का उपलब्ध कराया गया जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सिर्फ जनवरी 2012 में दो अज्ञात उद्देश्य के दौरे विश्रामपुर के लिए किए गए थे। इसके बाद वाहन निष्क्रिय पड़ा हुआ पाया गया। लेखापरीक्षा के द्वारा पूछे जाने पर परिचारी प्रवर, पलामू ने कहा

बुलेटप्रूफ जैकेट एवं बुलेटप्रूफ हेलमेट में भारी कमी थी

³⁹ मुख्य मारक हथियार: 5.56 एमएम इंसास राईफल, एके-47, 9-एमएम स्टेनगन, 9-एमएम पिस्टल, .38 रिवाल्वर और भीएल पिस्टल।

⁴⁰ 5.56 एमएम इंसास रायफल, 7.62 एमएमएसएलआर, एके-47, 9 एमएम स्टेनगन, 9-एमएम कार्बाइन, 9- एमएम पिस्टल, .38 रिवाल्वर और.303 रायफल।

(जुलाई 2012) कि दो प्रशिक्षित पुलिसकर्मी जो इस वाहन में पदस्थापित थे उनका तबादला मई 2012 में राँची और देवघर कर दिया गया था और उनके स्थान पर कोई भी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की प्रतिस्थापना नहीं हुई थी। इस तरह प्रशिक्षितकर्मी के अभाव में वाहन निष्क्रिय पड़ा हुआ था। इस तरह से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी के अभाव में अनुसंधानकर्त्ता पदाधिकारी⁴¹ द्वारा प्रदर्शों का सुरक्षित संग्रहण किया जा रहा था।

3.1.20.7 मानव बल प्रबंधन

पुलिस सेवा की दक्षता एवं गुणवत्ता पर्याप्त संख्या प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि मार्च 2012 को आरक्षी उपाधीक्षक श्रेणी में 50 प्रतिशत, अवर निरीक्षक में 44 प्रतिशत, सहायक अवर निरीक्षक में 10 प्रतिशत एवं पुलिसबल में 10 से 43 प्रतिशत की कमी थी (परिशिष्ट-3.10)। परिचारी के दो स्वीकृत पद भी खाली थे। पलामू जिला जो कि घनघोर रूप से नक्सल प्रभावित है बड़ी मात्रा में रिक्ति पुलिस बल की तैयारी में विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

अधिकारी संवर्ग में 10 से 100 प्रतिशत और कांस्टेबल संवर्ग में 10 से 43 प्रतिशत की कमी देखी गई

3.1.21 अनुश्रवण

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, जिला योजना समिति (डीपीसी) को अपनी बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी थी। डीपीसी ने दिसम्बर 2011 में सिर्फ एक बैठक की थी। डीपीसी के इस एकल बैठक में योजनाओं की समीक्षा नहीं की गयी।

जिला योजना समिति चालू योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी नहीं किया

इसके अलावा अधिनियम के धारा 71 एवं 72 के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए सात एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद के लिए आठ-आठ स्थायी समितियों का गठन उनके क्षेत्राधीन कार्यों के देखरेख के लिए किया जाना था। उपरोक्त समितियों का गठन दिसम्बर 2012 तक कार्यों का हस्तांतरण पंचायतीराज संस्थाओं को न होने के कारण नहीं हो सका जबकी पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन दिसम्बर 2010 में ही हो चुका था जैसा कि कंडिका 3.1.6.2 में वर्णित है। इस तरह जैसा कि झारखण्ड पंचायतीराज अधिनियम में प्रावधानित है, स्थायी समितियों के गठन नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर से विकास कार्यों का अनुश्रवण नहीं हो सका।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के पूर्व योजनाओं का अनुश्रवण उपायुक्त द्वारा मासिक बैठक के द्वारा किया जाता था।

⁴¹ सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक, आरक्षी निरीक्षक और आरक्षी उपाधीक्षक।

समापन बैठक के दौरान जिला योजना पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्थायी समितियों के गठन की प्रक्रिया जारी थी।

इस तरह सुदृढ़ अनुश्रवण तंत्र का अभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी त्रुटियों का भी एक कारण था।

3.1.22 निष्कर्ष

पलामू का जिला केंद्रित लेखा परीक्षा जिला में वित्तीय मामलों में एवं महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति को मुख्य रूप से उजागर करती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिन्दु नीचे विमर्शित है:

- किसी खास समय में सम्पूर्ण प्रक्षेत्रवार जिला में निधि का प्रवाह को दर्शाने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। पलामू में जिला योजना समिति का गठन संविधान के 74^{वें} संशोधन के 18 वर्ष बाद (दिसम्बर 2011) में किया गया। जिला योजना समिति की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई और इसकी कार्यप्रणाली दिखावटी एवं अपूर्ण रही। जिले का पंचवर्षीय विस्तृत योजना एवं वार्षिक कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। अधिनियम के अंतर्गत निधि, कार्य एवं कार्यान्वयन का हस्तांतरण पंचायती राज ईकाई (पी.आर.आई.) को भी नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)
- एस.एस.ए. के अस्तित्व के बावजूद काफी संख्या में बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे, निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध छात्र-शिक्षक का अनुपात (पी.टी.आर.) नीचे था और पी.टी.आर. जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में काफी खराब था। काफी संख्या में भवनों एवं कक्षा का निर्माण या तो अपूर्ण था या बीच में ही जमीन के अभाव में रोक दिया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति भी कम थी। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।
- एमडीएम योजना के क्रियान्वयन के क्रम में 1,974.79 एम.टी. चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था विद्यालयों के भंडार पंजी में नहीं लिया गया जब की उसे एस.एफ.सी. गोदामों से निर्गत दिखाया गया था। एमडीएम के अंतर्गत चावल की दूसरी योजनाओं में विचलन एवं कुकिंग फंड का दुरुपयोग भी पाया गया। कुछ विद्यालयों में एमडीएम कुछ दिनों के लिए अनाज आपूर्ति कम होने के कारण अवरुद्ध पाया गया।
- एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के क्रम में जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या मानक की तुलना में कम पाया गया। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं यथा रक्त भण्डारण, शिशु सेवा, अल्ट्रासाउण्ड,

ई.सी.जी. सेवाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं इत्यादि भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थीं। सदर अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन, धुलाई मशीन एवं इन्सीनेरेटर अक्रियाशील थे। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के बावजूद सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जरूरी तीन जाँच नहीं किया गया एवं 2009-12 के दौरान संस्थागत प्रसव सिर्फ 40 प्रतिशत पंजीकृत महिलाओं का ही हो पाया।

- वर्ष 2009-12 के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) में पाया गया की 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों के विरुद्ध 2,484 केंद्रों में शौचालय एवं 2,026 केंद्रों में चापाकल नहीं थे। एस.एन.पी. में 36 से 38 प्रतिशत की कमी पाई गई।
- ₹ 44.96 करोड़ मूल्य का बी.पी.एल., अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजना का अनाज सरकारी राशन दुकानों में प्राप्ति नहीं दर्शाया गया जब की एस.एफ.सी. द्वारा इसे निर्गत दिखया गया था। इस अंतर का मिलान नहीं किया गया।
- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में 75 हजार आबादी के लिए दो पाईप जलापूर्ति योजना बीच में ही रोक दी गई जिसके फलस्वरूप पाईप के खरीद में खर्च किये गए ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। अक्रियाशील फ्लोराइड निस्तरण यंत्र के खर्च पर ₹ 7.01 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-12 के बीच ₹ 27.86 करोड़ के लागत से पूर्ण किये गए 31 सड़को का रखरखाव नहीं किया गया एवं 181 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने वाले 86 सड़कों पर ₹ 42.60 करोड़ के खर्च के बावजूद भी अपूर्ण रहे।
- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत 1,457 लक्षित गाँवों के विरुद्ध सिर्फ 668 गाँवों का विद्युतिकरण किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निश्चित दर से बिलिंग करने के फलस्वरूप मीटर लगाने में ₹ 3.86 करोड़ का खर्च निष्फल हुआ।
- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 861 स्वरोजगारियों को भवन के अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जिसके फलस्वरूप वे बैंक वित्तीय पोषण से वंचित रहे।

- पलामू में पुलिस बल के लिए आधारभूत सुविधाएं यथा थाना तथा आउटपोस्ट भवन, पुलिसकर्मी के लिए आवास, बैरक एवं वाहन की कमी थी। पुराने हथियारों का चरणबद्ध रूप से जिला में निस्तारण नहीं किया गया।
- जिला योजना समिति को योजनाओं की समीक्षा अपनी बैठक में करनी थी। समिति ने अपने एकमात्र बैठक में कोई समीक्षा नहीं की। इसके अलावे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अन्तर्गत समितियों का संगठन उनके अंतर्गत आने वाले कार्यों के देखरेख के लिए करना था परंतु इन समितियों के गठन न होने के कारण विकास योजनाओं का अनुश्रवण नहीं हो सका।

3.1.23 अनुशंसाएं

सरकार को योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पी.आर.आई. की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार को विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

सरकार को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर/स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सरकार को सभी मौसम के लायक सड़कों द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार को अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया है(फरवरी 2013)। उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2013)।